

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 211/2024

SANJAY AGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENT'S

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Counter affidavit on behalf of Respondent No.07	1-9
2.	ANNEXURE R/1 Copy of the sale deed dated 04.02.2015	10-25
3.	ANNEXURE R/2 Copy of the sale deed dated 11.07.2023	26-36
4.	ANNEXURE R/3 Copy of the sale deed dated 14.02.2019	37-54
5.	ANNEXURE R/4 Copy of the sale deed dated 25.07.2017	55-69
6.	ANNEXURE R/5 Copy of the sale deed dated 15.02.2012	70-94
7.	ANNEXURE R/6 Copy of Master plan of Rishikesh	95-96
8.	ANNEXURE R/7 Copy of Government order dated 27.12.2021	97-98

9.	ANNEXURE R/8 Copy of photographs of the township developed adjacent to the said land along with satellite image of the said buildings.	99-103
10.	ANNEXURE R/9 Copy of photographs of the said water outlet along with water and electricity bills.	104-110
11.	ANNEXURE R/10 Copy of rules of the development authority, government order and sewage receipts.	111-131
12.	VAKALATNAMA	132

13. PROOF OF SERVICE

133

Filed on: 06.11.2024



ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,

Hailey Road, New Delhi


Rohit.pandey4587@gmail.com

①

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****Original Application No. 211/2024****SANJAY AGARWAL****...APPLICANT****VERSUS****STATE OF UTTARAKHAND & ORS.****...RESPONDENT'S****COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 07**

I, Atul Nehra, S/o Sukragpal Singh, R/o 3303, second floor, Block C, Greenfield Basti, Near Gurudwara, Faridabad, aged about 38, I am the respondent no. 7 in the aforesaid Original Application do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I am the respondent no. 07 in the aforesaid Original Application and fully acquainted with the facts and circumstances of the case and, hence competent to swear this affidavit in the above captioned matter.
2. That I have read the Notice by the National Green Tribunal on the basis of the facts mentioned before the Hon'ble Bench and fully understood the same and I state that same are Incorrect, misleading thus the contents of the same are denied.
3. At the very outset, it is submitted that the contents/averments in the above captioned original application to the extent not specifically adverted to and replied herein shall be deemed to have



Atul Nehra

②


been traversed in extensor and denied by the Respondent No. 07 save and except those which are expressly admitted hereinafter.

4. It is humbly submitted that the Respondent No 7 reserves its rights to add, modify or otherwise elaborate its reply, averments, contention, submissions and to place on record further annexures/ documents as may be required or as and when directed by this Hon'ble Court.

5. PRELIMINARY SUBMISSIONS

(a) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that the complainant/informant is himself involved in constructing buildings/residences in the same area, adjacent to the disputed residential buildings. He has not approached this tribunal with clean hands, as he is a co-purchaser, which is clearly reflected in the sale deed dated 04.02.2015, and has actively participated in constructing a similar building next to the said land. This complaint appears to stem from a personal vendetta rooted in enmity with his partners. Copy of the sale deed dated 04.02.2015 is Annexed here as **Annexure R/1 from page 10 to 25.**

(b) Furthermore, it is relevant to note that respondents no. 1 to no. 3 did not take any action concerning the development or construction of these buildings until after the National Green Tribunal intervened. These authorities were aware of an already developed township in the area, which was established even before the construction of these buildings, without approved maps or NOCs. The department itself



M. D. N. Chav


(3)

acknowledged in its report that no approvals can be granted for such development in this area.

(c) The brief facts of the present case are that Respondent No. 7 purchased this land in 2023 from the previous owner, Mrs. Rajni Makhija, through a sale deed dated 11.07.2023. In the sale deed, the respondent was informed that the land was free from any encumbrances. Additionally, he was advised that he could proceed with constructing a residential building, noting that the township includes adjacent residential, commercial, and hotel properties. Copy of the sale deed dated 11.07.2023 is marked as **Annexure R/2** from page 26 to 36.

(d) It is also important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the executed sale deed is not the first instance where this land was involved in a transaction. The land had previously been sold on three prior occasions (total 4), as can be clearly understood from the table provided below:

S No.	DETAILS OF THE SELLER	DETAILS OF THE BUYER	DATE OF EXECUTED SALE DEED	ANNEXURE	PAGE NO.
1	RAJNI MAKHIJA	ATUL NEHRA	11.07.2023	R/2	10-25
2	SEEMA	RAJNI MAKHIJA	14.02.2019	R/3	26-36
3	PARAMJEET KAUR	SEEMA	25.07.2017	R/4	32-54
4	NAVEEN	PARAMJEET	15.02.2012	R/5	55-69



(4)

	KUMAR	KAUR			
--	--------------	-------------	--	--	--

- (e) It is important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the photographs annexed to the aforementioned sale deeds clearly show that the constructions adjacent to the said land were already in place before the registration of the sale deeds. This is evident from the pages referenced in the table below:

S No.	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	R/2	30
2.	R/3	41
3.	R/4	57

- (f) It is also important to mention before this Hon'ble Court that the said land, along with the adjacent lands, is categorized under "Krishi Hari Pattika" as per the Master Plan Rishikesh, and not under "Hari Shreni," as observed by this Hon'ble Court. Copy of Master Plan Rishikesh is annexed here as **Annexure R/6 from page 95 to 96**.

- (g) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that, as evident from the designation in the Rishikesh master plan, the term "Krishi Hari" in "Krishi Hari Pattika" refers to land designated by the government specifically for agricultural purposes. Contrary to previous statements made before this Hon'ble Court, this land does not fall under the




[Handwritten signature]

(5)

category of "Hari Shreni," as it lacks any trees and covered forests.

- (h) It is submitted that a crucial fact has been concealed from this Hon'ble Court: the constructions adjacent to the respondent's buildings were erected years before the respondent's residential buildings, commercial complexes and Hotels. None of these constructions have had their maps approved by the development authorities, as the said land falls under the "Krishi Hari Pattika" category.
- (i) It is also submitted before this Hon'ble Court that the area in question has been converted from a village to a Nagar Panchayat. This rural-to-urban conversion was undertaken in accordance with the law, following an increase in the population from 12,000 to 40,000, reflecting the area's development into a city. This transition was formalized by a State Government order dated 27 December 2021. Copy of the Government order dated 27 December 2021 is annexed here as **Annexure R/7** from page 97 to 98.
- (j) Furthermore, a fact that has been concealed from this Hon'ble Court is that not only the buildings mentioned in the aforesaid table have been constructed adjacent to the respondent's residential buildings, but an entire city has been developed in the area. This stands in stark contrast to the action being taken solely against the respondents. Copy of photographs of entire developed city adjacent to these buildings along with satellite image of the said township are



Handwritten signature

(6)

annexed here as **Annexure R/8** from page 99 to 103.


- (k) The petitioner respectfully submits before this Hon'ble Court that the cognizance taken by this Court, as mentioned in the attached notice, raises valid concerns regarding the dumping of construction material into the natural stream. However, the respondent clarifies that the water outlet referred to as a natural stream is not a permanent water body. It is, in fact, a seasonal water outlet that functions only during the rainy season to channel water from the mountains and remains dry for the rest of the year and also the said respondent has used paid water and electricity at the time of the construction. The copy of the photographs of the water outlet along with bills of electricity and water supplied at the time of construction are annexed here as **Annexure R/9** from page 104 to 110.
- (l) The petitioner further respectfully submits before this Hon'ble Court that no construction material has been dumped into the said stream. During the same year, during the prolonged rainy season, the stream was operational. Had it not been functioning, as a fact various issues would have arisen, which did not occur during that period. Further it is strongly denied that the construction waste is being dumped into the said natural stream and the applicant has alleged the same without any proof which is clearly evident from the photographs annexed as **Annexure R/9**

6. PARAWISE REPLY

M. M. M. M.

②


- (a) The respondent fully denies the concern raised in point 02 regarding map approval. It has been clarified that neighbouring buildings were constructed earlier without any map approval, as the area falls under "Krishi Hari Pattika," where the development authority does not grant such approvals. The respondent contends that only the respondent is being singled out in this case. The copy of photographs are annexed here as **Annexure R/3**.
- (b) The respondent completely denies the concern raised in point 03 regarding the requirement to obtain NOCs from the air and water pollution control boards. Since the development authority can not approve maps in this area as land is in krishi hari pattika, and for residential purposes no Noc's are required as per mandate. Furthermore, neighbouring buildings, including commercial structures, have also been constructed without obtaining such NOCs. The respondent's building, however, is intended for residential use.
- (c) The respondent fully denies the concern raised in point 04 regarding the installation of a sewage treatment plant, as this issue was raised by this Hon'ble Court but is not applicable to the property in question. According to development authority regulations of National Green Tribunal itself the building's area is 826 sq mt. and



sewage treatment plants are only required for buildings exceeding an area of 10000 sq. mt wherein also the department has certified the sewage line and sewage connection in the said building as required as per government order. The copy of the rules of the development authority along with Government order and sewage receipts are annexed here as **Annexure R/10 from page 111 to 121**.

- (d) The respondent categorically denies the concern raised in point 05 by this Hon'ble Court, stating that no land associated with the rainwater disposal stream has been encroached upon or acquired during the construction of the residential building. The respondent asserts that all construction activities have respected the designated boundaries, ensuring that the natural water drainage pathways remain unaffected.

In light of the facts and submissions, the action taken by this Hon'ble Court concerning the alleged dumping of construction material in the rainwater disposal stream is entirely denied, as detailed in paragraph (K) of the Preliminary Submissions. No environmental laws have been violated in this regard, and the court's cognizance is based on concealed facts and is therefore liable to be dismissed.



Anil Singh

Anil Singh
DEPONENT

9

VERIFICATION

I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of para no. 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein.

06 NOV 2024


Verified and signed on this _____ day of _____, 2024 at

I identify the deponent who has signed/T.I in my presence

Mr./Ms ID No. Signature Adv./Self

[Handwritten Signature]

DEPONENT



Confirm that the above named Deponent is the person who has signed/T.I in my presence and that the contents of the statement which have been read & explained to me are true and correct

[Handwritten Signature]
8545

[Handwritten Signature]
(Atul Mehra)

06 NOV 2024

ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,

Hailey Road, New Delhi

Rohit.pandey4587@gmail.com

ATTESTED
[Handwritten Signature]
A.N. Singh, Adv.
Notary Public
Govt. of India, New Delhi

06 NOV 2024

विक्रय विलेख का वांछित विवरण		
1.	विक्रय मालियत प्रतिफल	- ₹31,40,000/-
2.	शासकीय मूल्यांकन	- ₹ 31,37,098/-
3.	स्टाम्प शुल्क	- ₹1,57,000/-
4.	स्टाम्प पृष्ठों की संख्या	- 13
5.	विवरण विक्रीत भूमि	- भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एट नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि0 कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है।
6.	मुख्य मार्ग से दूरी	- विक्रीत भूमि मुख्य ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
7.	भूमि क्रय का प्रयोजन	- आवासीय प्रयोजन हेतु।
8.	सर्किल दर	- ₹10,192/-वर्ग मीटर।
9.	विक्रेता का नाम व पता	- (1) श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून। PAN AHPGRJ 2511N (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। द्वारा मुख्तारैआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून।
10.	क्रेता का नाम व पता	- (1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून। (PAN No. AILPG6547R) (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (PAN No. AJRPG1850E) (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व0 श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून (PAN No. AFVPM9593G) (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (PAN No. ABTPA7137N) (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AIFPG1650B)

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature



गुड UTTARAKHAND

254078



[2]



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 04-02-2015 को स्थान जिला टिहरी गढ़वाल में (1) श्रीमति मीला जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारैआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनका इस विलेख में आगे विक्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है)।



.....विक्रेतागण

[Handwritten signatures and stamps]

4321
31.1.15

निरीक्षण गोपनीय 192
अजय कुमार गोपनीय
कम 31,40,000.00 को 10,000.00 5098 10.00
निरीक्षण 100.00 2600

निरीक्षण गोपनीय

अजय कुमार गोपनीय
10. 3. 15 को नया जातिकेस
6.2.15

12 वीं को

[Signature]

[Signature]
31

31,40,000.00 को

मानव जीव शोध मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री 001 लक्ष्मी कान्त कृष्ण (कृष्णेश्वर) व श्री निरीक्षण
श्री 001 अजय कुमार, कर्मित गोपनीय 5/0 कृष्ण कुमार गोपनीय
निरीक्षण श्री 001 - चंडिका श्री 001 अजय कुमार शोध लक्ष
कर्मित गोपनीय श्री 001 अजय कुमार निरीक्षण
जातिकेस (कुतुबगढ़)

निरीक्षण गोपनीय

अजय कुमार
श्री 001 अजय कुमार जातिकेस
श्री 001 अजय कुमार
श्री 001 अजय कुमार
10. 3. 15 को नया जातिकेस

[Signature]

[Signature]

अजय कुमार

[Fingerprints]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



[3]

ने



254074

(1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून. (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री वंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीबन्ध गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे क्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया।

.....क्रेतागण

[Signature]

[Signature]

[Signature]

संजय अग्रवाल

[Signature]

[Signature]

1944

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्ये, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं०-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

[Handwritten signatures and stamps]
रजिस्ट्रार कार्यालय

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त गलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त गलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 389 पर दिनांक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

[Handwritten signatures and stamps]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

254076

UTTARAKHAND

[6]

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अद्यासत स्थल पर स्वच्छ है।

और जैसा कि विक्रेतागण को इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि को विक्रीत करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेतागण इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में क्रेतागण को विक्रीत करने को तैयार है तथा क्रेतागण उक्त धनराशि में इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि को क्रय करने को तैयार हैं।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

तराखण्ड UTTARAKHAND

254079

[7]

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेतागण इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेतागण को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते हैं तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेतागण को आरूढ़ करते हैं। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) विक्रेतागण ने क्रेतागण से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद में प्राप्त कर ली है। विक्रेतागण समस्त विक्रय धनराशि की प्राप्ति उपनिबन्धक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के समक्ष एतद्वार स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499206

[8]

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेतागण निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं :-

- (क) यह कि विक्रेतागण ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन क्रेतागण को स्थल पर सौंप दिया है।
- (ख) यह कि विक्रित भूमि के संदर्भ में आज तक के समस्त कर आदि का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के उपरान्त समस्त कर आदि का भुगतान क्रेतागण करेंगे। क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रित भूमि के संदर्भ में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम विक्रेतागण के स्थान पर दर्ज करवा लेवे, विक्रेतागण इस कार्य हेतु सदैव क्रेतागण की मदद को तैयार रहेगा।
- (ग) यह कि विक्रित भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a date stamp '17/01/2017' and several illegible signatures.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499207

[9]

- (घ) यह कि विक्रीत भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेतागण को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेतागण को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेतागण को अन्तर्हित किये जा रहे हैं।
- (ङ) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेतागण को विक्रेतागण की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेतागण, क्रेतागण की मांग पर व क्रेतागण के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगे तथा उसका कारण बनेंगे।

[Handwritten signatures and text]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

200

20



499208

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

[10]

(च) यह कि यदि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेतागण के किसी भी अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष के कारण क्रेतागण के अधिकार अथवा अध्यासन से निकल जाता है तो विक्रेतागण उसका पर्याप्त हर्जाना क्रेतागण को अदा करेंगे तथा अदा किये जाने का कारण बनेंगे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 सत्यमेव जयते

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499209

[11]

- (3) यह कि विक्रीत भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्वै, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है तथा ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के अन्तर्गत विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन अंकन ₹ 10,192/- वर्ग मीटर है। इस प्रकार विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन ₹ 31,37,098/- निर्धारित होता है। भूमि का विक्रय मूल्य अंकन ₹ 31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) है जिस पर नियमानुसार ₹ 1,57,000/- का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। भूमि अन्तरण में कोई वैध बाधा नहीं है।

[Handwritten signatures and stamps]

संयोजक/अधीक्षक



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499210

[12]

- (4) यह कि विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। विक्रेतागण व क्रेतागण भारतीय नागरिक है। भूमि पर सिलिख अधिनियम लागू नहीं होता है। विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है। विक्रेतागण द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है और विक्रेतागण वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्थ, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्रेतागण उत्तराखण्ड राज्य के मूलखातेदार की श्रेणी में आते हैं, क्रेतागण के परिवार में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से अचल सम्पत्ति विद्यमान है। जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

[Handwritten signatures and initials]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499041

[13]

- (6) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां जहां शब्द विक्रेतागण व क्रेतागण आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर, उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

विवरण भूमि

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पदटी धमान्दर्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। जिसकी दिशायें निम्न प्रकार है :-

- | | | |
|------------|---|---|
| पूरव में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 67 फुट 5 इंच, |
| पश्चिम में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 50 फुट, |
| उत्तर में | - | बरसाती नाला, सीमा नाप 58 फुट 5 इंच, |
| दक्षिण में | - | 18 फुट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 54 फुट 5 इंच। |

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

693856

[14]

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को विक्रेतागण व क्रेतागण ने साक्षीगणों के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है. ताकि समय पर उपयोगी हो।

(श्रीमति मीता जौहर)
द्वारा मुख्ताराम श्री मानव जौहर
विक्रेता संख्या-1

(श्री निशांत मलिक)
विक्रेता संख्या-2

(श्री हर्षित मलिक)
द्वारा मुख्ताराम
श्री निशांत मलिक
विक्रेता संख्या-3

(श्री निखिल गोयल)
क्रेता संख्या-1

(श्री अभित गोयल)
क्रेता संख्या-2

(श्री बंशी कुमार मित्तल)
क्रेता संख्या-3

(श्री संजय अग्रवाल)
क्रेता संख्या-4

(श्री राजन गुप्ता)
क्रेता संख्या-5

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, की धारा 32(ए) के अन्तर्गत अंगुलिया के निशान

विक्रेता का नाम :- शिव प्रसाद शर्मा हस्ताक्षर [Signature]

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

विक्रेता का नाम :- शिव प्रसाद शर्मा हस्ताक्षर [Signature]

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

क्रेता का नाम :- शिव प्रसाद शर्मा हस्ताक्षर [Signature]

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

[Signatures]
 20/05/2024

206

12/6/2023

26

Amrinder R/2



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023090101400

DISTRICT NAME: दिवरी कस्बा BRO

Veri: 8 LOCKED

संकेतिक नाम: UKPDE2023090101400

From 16 Feb 2023

10-Jul-2023

1 25 02PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo

Mutation Office तहसील नरेन्द्रनगर

Deed/Article Type Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article Sale(Residential Plot)

Village/Location For Index तपोवन

Village/Location/Road Selected for Circle Rate List तपोवन

Khewat : Khazoni : 86

Khasra : 27ka

House/Flat No:

Area : 94.0900 वर्ग मीटर

Latitude : 30.1328610000

Longitude : 78.321170000

Land Value : 2,659,000.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 2,659,000.00

Market Value : 2,859,000.00

Advance : 0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent

: 0.00

Stamp Duty : 133,000.00

Regn Fees : 25,000.00

Passing Fees : 100

Page

: 24 / 25

आवधिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	विवरण			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तारीख	हाथ चर्च	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं	पुनर्गठन की विधि	विवरण	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	25,000.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं	पुनर्गठन की विधि	विवरण	संदर्भ क्रमांक	वारी तिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	133,000.00		5-Jul-2023	

Rajni

Amrinder R/2

Appointment Date:

Appointment Time:

207

Appointment Token No.

22

Station Office तहसील नरेन्द्रनगर

प्रकारों का विवरण

कार का प्रकार	प्रकार का विवरण	व्यवस्थापक	व्यवस्थापक	फोन नं.	संवादन नं.	संवादन नं. संख्या
1/	व्यवस्थापक की श्रेणी बदली या नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	राजेश	PRIVATE	AEMPM152	9811647860	ADHAAR : 3100 8573 7547
2/	व्यवस्थापक की श्रेणी बदली या नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	अजय	JOB	GP	9716087555	ADHAAR : 2483 1036 1435
3/	व्यवस्थापक की श्रेणी बदली या नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	अजय	PRIVATE	AQJPA2099	L	ADHAAR : 3314 7381 3616
4/	व्यवस्थापक की श्रेणी बदली या नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	अजय	JOB		8273825984	ADHAAR : 6112 8120 5285
5/	व्यवस्थापक की श्रेणी बदली या नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	अजय	PRIVATE		8126498148	
6/	व्यवस्थापक की श्रेणी बदली या नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	अजय	JOB			

Deed Writer / Advocate Name : Atul Bisht



208

28



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount:(Rs.)

: IN-UK62580589296883V
: 10-Jul-2023 06:54 PM
: NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH
: SUBIN-UKUK120730431287547198899V
: ATUL NEHRA
: Article 23 Conveyance
: MAUZA TAPOVAN TEHRI GARHWAL
: 26,59,000
: (Twenty Six Lakh Fifty Nine Thousand only)
: RAJNI MAKHIJA
: ATUL NEHRA
: ATUL NEHRA
: 1,33,000
: (One Lakh Thirty Three Thousand only)



S

Atul Nehra

0039929651

दूरी प्रमाण पत्र

महोदय,

सांघोपरान्त पाया गया कि ग्राम तपोवन
 तहसील सैदपुर नगर, जिला टिहरी शहरी
 भूमि खाता सं० 86 खसरा नम्बरान 27 क
 क्षेत्रफल मुख्य राजमार्ग अधीकृत - लकी-गढ़
 मोटर मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित।

.....
 (.....)
 (.....)

Rajiv

.....

गौके की फोटो


प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीगती रजनी गखीजा पत्नी श्री गहेश कुमार निवासी-फ्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्ल्यू०, शालीगार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुक्रगपाल सिंह निवासी- 3303, द्वितीय फ्लोर, ब्लॉक-सी, ग्रीनफील्ड बस्ती, निकट गुरुद्वारा फरीदाबाद, हरियाणा- 121001।

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 68 मि०जु०) विक्रीत रकबा 112.5 वर्ग गज यानि 94.09 वर्ग मीटर यानि 0.0094 हेक्टेयर स्थित वार्ड नं० 1, मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 11.07.2023



Rajni

ह० विक्रेता

ह० क्रेता

Atul Nehra

विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र - नगर पंचायत क्षेत्र।
 बदीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी - 200 मीटर से बाहर।
 सर्किल दर - 26,906/रूपये प्रति वर्ग मीटर
 तथा भूमि पर आवगमन हेतु सारता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की
 दशा में सामान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक यानि 28,252/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
 आंकलन किया गया।

क्रेता	-	पुरुष।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	94.09 वर्ग मीटर।
निर्माण क्षेत्रफल	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र जिस पर स्टाम्प दिया-	-	26,59,000/रूपये।
बाजारी मूल्य	-	26,59,000/रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	1,33,000/रूपये।
Latitude	-	30.132861
Longitude	-	78.321117
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK.....

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा (PAN-AEMPM1526P) पत्नी श्री महेश
 कुमार निवासी-फ्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्ल्यू०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट
 दिल्ली, दिल्ली-110088। विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्री अतुल नेहरा (PAN-AQJPA2099L) पुत्र श्री सुरक्रमपाल सिंह
 निवासी- 3303, द्वितीय फ्लोर, ब्लॉक-सी, ग्रीनफील्ड बस्ती, निकट गुरुद्वारा
 फरीदाबाद, हरियाणा- 121001। क्रेता

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 88 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार
 भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के
 अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 112.5 वर्ग गज यानि 94.
 09 वर्ग मीटर यानि 0.0094 हेक्टेयर स्थित वार्ड नं० 1, मौजा तपोवन परगना
 तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने
 किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्रीमती रजनी मखीजा, आधार कार्ड सं० 3100 6573 7547
 क्रेता :- श्री अतुल नेहरा, आधार कार्ड सं० 2483 1036 1435
 गवाह :- श्री मोहन भारद्वाज, आधार कार्ड सं० 3314 7381 3616
 गवाह :- श्री तिलक सिंह, आधार कार्ड सं० 6112 8120 5285

यहकि नगर पंचायत तपोवन को उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग -3,
 शासनादेश सं० 1853/(2)/IV(3)/2021-01(2न०नि०) दिनांक 27.12.2021 को तपोवन
 घुघत्यापी तल्ली, घुघत्यापी मल्ली, पाथे मध्ये बिलखेत, लोक एंव जामरीकाटल को नवगठित
 नगर पंचायत क्षेत्र तपोवन के रूप में गठित किया गया है।

37

2



-2-

विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी-प्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी0डब्लु0, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।

विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुक्रमपाल सिंह निवासी- 3303, द्वितीय पलोर, ब्लॉक-सी, ग्रीनफील्ड बस्ती, निकट गुरुद्वारा फरीदाबाद, हरियाणा- 121001।

क्रेता

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है की विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से साफ एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली से क्रय की हुई है, जिसके विक्रय पत्र के का पंजीकरण बही नं० 1 जिल्द 492 पृष्ठ 397 से 424 पर दस्तावेज नं० 153 पर दिनांक 14.02.2019 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत पंजीकृत है, तथा क्रय की तिथि से विक्रेता वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि पूर्व विक्रेता श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर ने भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 412 पृष्ठ 59 से 84 दस्तावेज नं० 789 पर दिनांक 25.10.2017 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत पंजीकृत है।

यहकि श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह ने वर्णित भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- तपोवन पट्टी धमान्दरयू, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 298 के पृष्ठ 1018 से 1025 में दस्तावेज नं० 1200 पर दिनांक 15.12.2012 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत पंजीकृत है व पूर्व विक्रेता श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन ने वर्णित भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व० बहादुर सिंह व श्रीमती डाडी देवी एवं श्रीमती शेखरी देवी उर्फ शेपरी देवी दोना पत्नीयां स्व० बहादुर सिंह निवासी- तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढवाल से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 235 के पृष्ठ 209 से 224 में दस्तावेज नं० 85 पर दिनांक 15.01.2008 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत पंजीकृत है।

Rajni

Atul

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित व दर्ज चली आ रही है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एव हस्तांतरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने शिखर मन बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में बिना किराी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन अपनी खेच्छा से क्रेता श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुक्रमपाल सिंह को मु० 26,59,000/रुपये (छब्बीस लाख उनसठ हजार रुपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तांतरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

मु० 10,00,000/रुपये (दस लाख रुपये) द्वारा आर०टी०जी०एस० सं० IDFBR-52023021900637685, दिनांकित 19.02.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 10,00,000/रुपये (दस लाख रुपये) द्वारा आर०टी०जी०एस० सं० IDFBR-52023070200371353, दिनांकित 02.07.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 6,59,000/रुपये (छः लाख उनसठ हजार रुपये) द्वारा आर०टी०जी०एस० सं० IDFDR52023070700421447 दिनांकित 07.07.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु० 26,59,000/रुपये (छब्बीस लाख उनसठ हजार रुपये) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार वाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तांतरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐस लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेगें।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

Rajni

W. D. N. S.

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेता-किरी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यहकि विक्रेता एवं क्रेता/उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नहीं है, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है वल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवारीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि वार्ड नं० 1, मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 94.09 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 5 प्रतिशत मय रोड राईडर सहित मु० 28,252/रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु० 26,59,000/रुपये होता है जिस पर नियमानुसार पर स्टाम्प शुल्क 1,33,000/रुपये अदा किया गया है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिखरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 112.5 वर्ग गज यानि 94.09 वर्ग मीटर यानि 0.0094 हेक्टेयर स्थित वार्ड नं० 1, मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

पूरब में - भूमि बालियान जी।
पश्चिम में - भूमि तिलक सिंह, जो कि आज ही अन्य विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जा रही है।

उत्तर में - खाला।
दक्षिण में - सडक लगभग 25 फीट चौडी।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान
1- पक्षकार विक्रेता नाम श्रीमती रजनी मखीजा हस्ताक्षर
बाया हाथ (Left Hand) अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दाया हाथ (Right Hand) अंगूठा तर्जनी

मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

2- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा

नाम
तर्जनी

श्री अतुल नेहरा
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



दाया हाथ: (Right Hand) अंगूठा तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 11.07.2023 ई० को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता

Rajni

(श्रीमती रजनी मखीजा)

ह० क्रेता

Atul

(श्री अतुल नेहरा)

ह० गवाह

Moham Phoolaj

श्री मोहन भारद्वाज
पुत्र श्री दुष्यन्त भारद्वाज
निवासी- 331, बेगमपुर, बरही,
मुजफ्फरनगर, रोहान मिल्स
उत्तर प्रदेश।

ह० गवाह

him


श्री तिलक सिंह
पुत्र श्री नौरग सिंह
निवासी- भट्टोवाला रोड
गुमानीवाला कुधिकेवा
जिला देहरादून।

हम गवाहान् के समक्ष दोनों पक्षकारों (विक्रेता व क्रेता) ने इस लेख पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं, विक्रीत भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व व विक्रय मुल्य के भुगतान व प्राप्ति के सम्बन्ध में हम गवाहान् को कोई जानकारी नहीं है।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रचियता :-
अतुल नेहरा
एडवाकेट।

बही संख्या 1 जिल्द 835 के पृष्ठ 145 से 166 पर क्रमांक 1216

पर आज दिनांक 14 Jul 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
14 Jul 2023



217

32 Annexure R13



Online Public Data Entry Summary



14/2

DISTRICT NAME: **शुद्धी जिला BHO: भुवना**

UKPDE2019090100225

Locked

13-Feb-2019

1:34:08PM

Appointment Date: **15/3/2019** **Appointment Time:** **15:30** **Appointment TokenNo:**
Land Article Type: Sale (Immovible) **Sale (Residential Plot):**
Sub-Deed/Sub-Article: **विकास (50 मीटर से बड़ा) (क्षेत्रिक - देवघाट - बडीगाव पोस्ट कार्ड में दोनो ओर 50 मीटर से बड़ा)**
Village/Location For Index: **विकास (50 मीटर से बड़ा) (क्षेत्रिक - देवघाट - बडीगाव पोस्ट कार्ड में दोनो ओर 50 मीटर से बड़ा)**
Village/Location/Road Selected for Circle Rate List: **विकास (50 मीटर से बड़ा) (क्षेत्रिक - देवघाट - बडीगाव पोस्ट कार्ड में दोनो ओर 50 मीटर से बड़ा)**
Khasra No: 27/ka **Khatoni No:** 86
House/Flat No:
Area: 188.19 वर्ग मीटर **Latitude:** 30.1325000000 **Longitude:** 78.3216010000
Land Value: 2,350,000.00 **Construction Value:** 0.00
Transaction Value: 2,400,000.00 **Market Value:** 2,350,000.00
Advance: 0.00 **Lease Period:** 0.00 **Avg. Rent:** 0.00
Stamp Duty: 90,000.00 **Regn Fees:** 25,000.00
Words: 1,000 **Page:** 18

अवकाशिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	विवरण			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं.	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण मूल्य	दाख परत	वर्ष
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं.	विवरण की विधि	विवरण	दर/प्रति इकाई		
1	Cash	25,000.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं.	विवरण की विधि	विवरण	दर/प्रति इकाई	वारी विनांक	वर्ष
1	e-Stamp	90,000.00		13-Feb-2019	

Sherma

Rajni

Appointment Time

Appointment TokenNo:

विवरण का विवरण	इलाका	व्यवस्थापक	पैन नं	दस्तावेज नं	पहुंचान संख्या
01 विवाही मीमा मन्वी श्री राजेश्वर विवाही मन्वी मन्वी, अट विहार, मध्याहनी, दिल्ली	Seema	OTHERS	AI JPC0145 P ✓		ADHAAR 2055 1478 4431
02 विवाही मन्वी मन्वीका मन्वी श्री महेश कुमार विवाही मन्वी मन्वी, अट-बी-एम्पु, मन्वीका मन्वीका मन्वी, मन्वी मन्वी दिल्ली दिल्ली	Rajni	OTHERS	AEMPM152 GP ✓		ADHAAR 3100 9573 7547
03 श्री मन्वीका मन्वी श्री मन्वीका मन्वीका मन्वीका मन्वीका	[Signature]	OTHERS			ADHAAR 3841 8174 9308
04 श्री महेश कुमार मन्वीका मन्वीका मन्वीका मन्वीका दिल्ली	Seema	OTHERS			ADHAAR 8871 2834 4439

Deed Writer /Advocate Name atul bishl

152
219 2019

39




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK03913233389592R
Certificate Issued Date	: 13-Feb-2019 02:07 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120730409489748138194R
Purchased by	: RAJNI MAKHIJA
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: MAUZA TAPOVAN NARENDRA NAGAR TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.)	: 24,00,000 (Twenty Four Lakh only)
First Party	: SEEMA
Second Party	: RAJNI MAKHIJA
Stamp Duty Paid By	: RAJNI MAKHIJA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 90,000 ✓ (Ninety Thousand only)



Smt. S. Bisht
Stamp Vendor
Court Compound, Rishikesh

.....Please write or type below this line.....

Seema

Rajni

0004334495

विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	ग्रामीण क्षेत्र।
बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी-	-	लगभग 200 मीटर।
सर्किल दर	-	11,884/रूपये प्रति वर्ग मीटर
तथा भूमि पर आवगमन हेतु रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में सामान्य दर 11,884/रूपये पर 5 प्रतिशत अधिक यानि 12,479/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन किया गया।	-	
क्रेता	-	महिला।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	188.19 वर्ग मीटर।
निर्माण क्षेत्रफल	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र जिस पर स्टाम्प दिया-	-	24,00,000/रूपये। ✓ ✓
बाजारी मूल्य	-	23,50,000/रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	90,000/रूपये। ✓
Latitude	-	30.132500
Longitude	-	78.321601 ✓
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा (PAN- ALJPD0145P) पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।

विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा (PAN- AEMPMI526P) पत्नी श्री महेश कुमार निवासी-प्लेट नं० 87-डी, ब्लॉक बी०डब्लु०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।

क्रेता

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 86 मि०जु०) विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हैक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्रीमती सीमा, आधार कार्ड सं० 2055 1478 4431

क्रेता :- श्रीमती रजनी मखीजा, आधार कार्ड सं० 3100 6573 7547

गवाह :- श्री गोपाल डे, आधार कार्ड सं० 3841 8174 9306

गवाह :- श्री महेश कुमार मखीजा, आधार कार्ड सं० 8871 2834 4439

यहकि क्रेता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में पहली बार भूमि क्रय की जा रही है।

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू०पी०जेड०ए०एक्ट की खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं० 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है।

Selma

Rajni

मौके की फोटो


प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी- फ्लैट नं०- 87-डी, ब्लॉक बी०डब्लु०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088। क्रेता

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 86 मि०जु०) विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हैक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढवाल।

दिनांक 14.02.2019



ह०

Si ma

Rajni



ATUL BISHT
Advocate
Court Compound, Rishikesh



.....
.....

-2-

विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।
विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी- फ्लैट नं० 87-डी, ब्लॉक बी०डब्ल्यू०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।
क्रेता

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है की विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 412 पृष्ठ 59 से 84 दस्तावेज नं० 789 पर दिनांक 25.10.2017 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है तथा क्रय की तिथि से विक्रेता वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि पूर्व विक्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह ने वर्णित भूमि बंजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- तपोवन पट्टी धमान्दस्यू, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 298 के पृष्ठ 1018 से 1025 में दस्तावेज नं० 1200 पर दिनांक 15.12.2012 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है व पूर्व विक्रेता श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन ने वर्णित भूमि बंजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व० बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शेखरी देवी उर्फ शोपरी देवी दोना पत्नीयां स्व० बहादुर सिंह निवासी- तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढवाल से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 235 के पृष्ठ 209 से 224 में दस्तावेज नं० 85 पर दिनांक 15.01.2008 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित व दर्ज चली आ रही है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

Rajni

-3-

Sema

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार को मु० 24,00,000/रुपये (चौबीस लाख रुपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

मु० 8,50,000/रुपये (आठ लाख पचास हजार रुपये) द्वारा चैक सं० 000166 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांकित 12.02.2019 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 8,00,000/रुपये (आठ लाख रुपये) द्वारा चैक सं० 000167 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांकित 12.02.2019 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 7,50,000/रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये) द्वारा चैक सं० 000168 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांकित 14.02.2019 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु० 24,00,000/रुपये (चौबीस लाख रुपये) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये हैं। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उराका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

See ma

Payu

एकके विक्रय
मार्केट मूल्य के लिये
अफगानिस्तान
मार्केट

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 153 वर्ष 2019

Sale (Immovable) प्रतिफल रु0 : 2,400,000.00
Sale (Residential Plot) मासिबत रु0 : 2,350,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिमिति शुल्क	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 25,000.00	रु0 10.00	रु0 280.00	रु0 25,290.00	1,000

श्रीमती रजनी मर्चीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी प्लॉट न० ६७-डी, ब्लॉक- बी० डब्ल्यू०, शालीमार बाग, नार्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली ने आज दिनांक 14 Feb 2019 समय मध्य 11AM व 12PM को कार्यालय उपनिबन्धक देवप्रयाग में प्रस्तुत किया।



Rajni Marjiya
रजनी मर्चीजा

Dev Prayag
उपनिबन्धक
देवप्रयाग

14-Feb-2019

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी ए-१०, ए-ब्लॉक, चंद्र बिहार, मंदावली, दिल्ली । ने विक्रय धन मुबलिय रु0 2,400,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन केता श्रीमती रजनी मर्चीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी प्लॉट न० ६७-डी, ब्लॉक- बी० डब्ल्यू०, शालीमार बाग, नार्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली । ने स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री गोपाल डे पुत्र श्री हीरालाल डे निवासी पौड़ी मद्रवाल तथा श्री महेश कुमार मर्चीजा पुत्र श्री होतू मल निवासी दिल्ली ने की।

Dev Prayag
उपनिबन्धक
देवप्रयाग

14-Feb-2019



यहकि विक्रेता एवं क्रेता/ उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नहीं हैं, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। ✓

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 12.479/रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु० 23,50,000/रुपये होता है तथा दोनों पक्षों के मध्ये भूमि का सौदा मु० 24,00,000/रुपये में तय हुआ है, जिस पर नियमानुसार अधिकतम पर स्टाम्प शुल्क 90,000/रुपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत भूमि है, विक्रीत भूमि किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरि भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हैक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

- पूरब में - भूमि मानव जौहर आदि, सीमा नाप 71 फीट।
 पश्चिम में - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।
 उत्तर में - खाला, सीमा नाप 28 फीट 6 इंच।
 दक्षिण में - सड़क लगभग 25 फीट चौड़ी, सीमा नाप 30 फीट।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार	विक्रेता	नाम	श्रीमती सीमा	हस्ताक्षर	See me
बायां हाथ (Left Hand)	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

दायां हाथ (Right Hand)	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

See me

Signature

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 153 वर्ष 2019



सीमा

सीमा



रजनी मधीजा

रजनी मधीजा



बोपाल दे

बोपाल दे



महेश कुमार मधीजा

महेश कुमार मधीजा

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अगुछ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।



महेश कुमार मधीजा
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग

14 Feb 2019

227

(47)

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम/Enrolment No.: 1007/21172/00163

To
रजनी मखीजा
Rajni Makhija
W/O: Mahesh Kumar
Block BW-67-D
Shalimar Bagh
Shalimar Bagh
North West Delhi Shalimar Bagh
Delhi - 110088
9871119982

Download Date: 23/04/2017

Generation Date: 06/03/2013

Signature valid

Digitally signed by
UNIQUE IDENTIFICATION
AUTHORITY OF INDIA
Date: 2017.04.23 11:38:57
IST



केल

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



रजनी मखीजा
Rajni Makhija
जन्म तिथि/ DOB: 20/10/1965
महिला / FEMALE

Rajni



3100 6573 7547

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAJNI MAKHIJA

SATRAM DAS SHADIJA

20/10/1965
Permanent Account Number
AEMPM1526P



13122006

Rajni
Signature

भारत सरकार
Government of India

गोपनीय है
Gopal Day
जन्म तिथि / DOB: 04-06-1978
पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार

संघीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: भदमर, हिरालाल डे 42, लखमन
झुला, पोस्ट ऑफिस, लखमन
झुला, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
पिनकोड, 248302

Address: S/O Hiralal De 42, LAKMAN
JHULA, POST OFFICE, LAKMAN
JHULA, Dist. Pauri Garhwal,
Uttarakhand
248302

1987
TC 302 1987

1987
TC 302 1987

भारत सरकार
Government of India

महेश कुमार शर्मा
Mahesh Kumar Sharma
जन्म तिथि / Year of Birth: 1960
पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार

संघीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: हाउस नं-67D, ब्लॉक बी
इन्डियन शांतिबाग क्षेत्र, उत्तर पश्चिम
दिल्ली, शांतिबाग ब्लॉक, दिल्ली
पिनकोड: 110088


Address: House No-67D, Block B
W. Shantibaugh, North West
Dist. Shantibaugh, Delhi
110088

1987
TC 302 1987

1987
TC 302 1987

229 (19)

रकबा


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

नाम W/O रामेश्वर ए. १० चण्डर सिनार, आई.टी. एम्प्लॉयमेंट बसती इन्डिया अटलवाडी बजट, दिल्ली ई-२० टॉकी, टॉकी, ११००९२	Address W/O Rameshwar A-10 CHANDER SINAR, I.T. EMTN BASANTI MANDIR ATULAWADI BAZAR, DELHI East Delhi, Delhi, 110092
--	---




नाम / Name
 सीमा
 Seema

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1970
लिंग / Gender : महिला / Female



आधार - आम आदमी का अधिकार

Aadhaar - Aam Aadmi Ka Adhikaar

Seema विदेशी

नदशा


प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-२०, ए-ब्लॉक,
चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी-
फ्लैट नं० ६७-डी, ब्लॉक बी०डब्ल्यू०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली,
दिल्ली-११००८८। क्रेता


(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधारी भूमि, खाता खतौनी सं० ८८ फसली वर्ष १४१४ से १४१९ के
अनुसार भूमि खसरा नं० २७क मि०जु० (पुराना खाता सं० ४१ फसली वर्ष १४००
से १४०५ के अनुसार साविक खसरा नं० ६६ मि०जु०) विक्रीत रकबा २२५ वर्ग
गज यानि १८८.१९ वर्ग मीटर यानि ०.०१८८ हैक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना
तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

दिनांक १४.०२.२०१९



खाला, सीमा नाप २८ फीट ६ इंच।



भूमि श्री देशवाल, सीमा
नाप ६७ फीट ६ इंच।

भूमि मानव जौहर आदि,
सीमा नाप ७१ फीट।

सडक लगभग २५ फीट
चौडी, सीमा नाप ३० फीट।

ह० विक्रेता

Suma

ह० क्रेता

Rajni

2- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा

नाम
तर्जनी

-5-

श्रीमती रजनी मखीजा
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



दायां हाथ: (Right Hand) अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 14.02.2019 ई० को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता

Suma

(श्रीमती सीमा)

ह० क्रेता

Rajni

(श्रीमती रजनी मखीजा)

ह० गवाह

Gopal Dey

श्री गोपाल डे
पुत्र श्री हीरालाल डे
निवासी- लक्ष्मण झूला, जाँक
जिला पौड़ी गढ़वाल।

ह० गवाह

Mahesh Kumar

श्री महेश कुमार मखीजा
पुत्र श्री होतु मल
निवासी- शालीमार बाग,
दिल्ली।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार सशियता व गवाहो की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-

अतुल बिष्ट,

अतुल बिष्ट


Advocate

3rd Compound, Hishik...


टंकण मेरे कार्यालय में किया गया।



बही संख्या 1 जिल्द 492 के पृष्ठ 397 से 424 पर क्रमांक 153
 पर आज दिनांक 14 Feb 2019 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
 उप-निबंधक, देवप्रयाग
 14 Feb 2019

नं० स०... 309/2018-19
 द्वारा 34- नं० ग० नं०
 डा० नं०... 20-8-2019 पर 10 दिनों की अवधि में
 को स०... 23-11-2019


 राज-द्वार कानूनगो
 बहसील नरेंद्रनगर।

... (2) ... के ... 0.013 ... 0.15 ... 14/12/07

... 0.037 ... 0.15 ... 15/12/08 ... 16/12/09

... 0.0080 ... 0.10 ... 16/12/09 ... 17/12/09

... 0.16 ... 0.25 ... 18/12/09 ... 19/12/09

... 0.26 ... 0.33 ... 20/12/09 ... 21/12/09

... 0.49 ... 0.55 ... 22/12/09 ... 23/12/09

... 0.89 ... 0.95 ... 24/12/09 ... 25/12/09

Handwritten signature or mark at the bottom center.

789-2-2017

236

(56)



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK38884361786316P
Certificate Issued Date : 25-Oct-2017 10:15 AM
Account Reference : NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120730477855237599851P
Purchased by : SEEMA ✓
Description of Document : Article 23 Conveyance ✓
Property Description : KHATA NO 86 AREA 188.19 SQ. MTR MAUZA TAPOVAN TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.) : 22,16,000
(Twenty Two Lakh Sixteen Thousand only)
First Party : PARAMJEET KAUR ✓
Second Party : SEEMA ✓
Stamp Duty Paid By : SEEMA ✓
Stamp Duty Amount(Rs.) : 83,100
(Eighty Three Thousand One Hundred only)



Smt. S. Bisht
Stamp Vendor
Court Compound Rishikesh

Please write or type below this line.....

Paramjeet Kaur.

SEEMA

0001793391

Statutory Alert

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.tribestamp.com. Any discrepancy in the details of this Certificate will be
responsible for the said certificate holder.
In case of any discrepancy, the holder should contact the issuer of the certificate
at the address mentioned on the Certificate or the Competent Authority.

मौके की फोटो

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी-
5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून। विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक,
चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। क्रेता

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिघरी भूमि खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1419 से 1419 के
अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.
19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी
गढ़वाल।

दिनांक 25.10.2017



परमजीत कौर

सीमा

विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	ग्रामीण क्षेत्र।
देवप्रयाग-बदीनाथ मुख्य सडक से दूरी-	-	200 मीटर से अधिक।
सर्किल दर	-	11,211/रूपये प्रति वर्ग मीटर
तथा भूमि पर आवगमन हेतु रास्ता 5 मीटर से कम व 12 मीटर से अधिक चौड़ा होने की स्थिती में सामान्य दर 11,211/रूपये पर 5 प्रतिशत अधिक यानि 11,772/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया।		
क्रेता	-	महिला। -
मौजा	-	तपोवन। -
क्षेत्रफल	-	188.19 वर्ग मीटर।
निर्माण क्षेत्रफल	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र	-	22,16,000/रूपये।
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया	-	22,16,000/रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	83,100/रूपये।
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK

02

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर (PAN-ADJPK2270Q) पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून।

विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती सीमा (PAN-ALJPD0145P) पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। क्रेता

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधारी भूमि खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1419 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्रीमती परमजीत कौर, आधार कार्ड सं० 6210 1071 8033

क्रेता :- श्रीमती सीमा, आधार कार्ड सं० 2055 1478 4431

गवाह :- श्री कुलविन्दर सिंह, DL-UK1420170103306

गवाह :- श्री राजेन्द्र सिंह, आधार कार्ड सं० 9456 5128 9994

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू०पी०जेड०ए०एक्ट का खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं० 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रहा है।

यहकि क्रेता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में पहली बार भूमि क्रय की जा रही है।

Parmjit Kaur

Seema



Comp. ...



A. L. BISHT

Comp. ... Rishikesh

-2- विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी-
5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून। विक्रेता

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक,
चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। क्रेता

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्थ, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 298 पृष्ठ 1018 से 1025 दस्तावेज नं० 1200 पर दिनांक 15.12.2012 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत् पंजीकृत है तथा क्रय की तिथि से विक्रेता वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित व दर्ज चली आ रही है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा मे, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर को मु० 22,16,000/रुपये (बाईस लाख सोलह हजार रुपये) के प्रतिफल के बदले मे इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

मु० 21,10,000/रुपये (इक्कीस लाख दस हजार रुपये) द्वारा चैक सं० 850724 इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांकित 24.10.2017 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 1,06,000/रुपये (एक लाख छः हजार रुपये) द्वारा चैक सं० 850725 इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांकित 25.10.2017 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु० 22,16,000/रुपये (बाईस लाख सोलह हजार रुपये) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

Pamjit Kaur

Sir name

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये हैं। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यहकि विक्रेता एवं क्रेता/उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 11,772/रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 22,16,000/रुपये होता है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 83,100/रुपये अदा किया गया है।

Ranjit Kaur

S. S. S. S.

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 789 वर्ष 2017

Sale (Immovable)
 Sale (Residential Plot)
 प्रतिफल रु : 2,216,000.00
 मालिकत रु : 2,216,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 25,000.00	प्रतिलिपि शुल्क रु 10.00	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क रु 280.00	कुल योग रु 25,270.00	शब्द संगणन 1,000
-----------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------	---------------------

श्रीमती सीमा पवी श्री रामेश्वर निवासी दिल्ली ने आज दिनांक 25 Oct 2017 समय मध्य 2PM व 3PM को कार्यालय उपनिबन्धक देवप्रयाग में प्रस्तुत किया।



Sema Puri
 सीमा



उपनिबन्धक
 देवप्रयाग
 25-Oct-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन क्रि. सं. 58/2017 में लिखित तथ्यों के अनुसार पत्री श्री अर्जुन सिंह निवासी ऋषिकेश ने 2,216,000.00 प्रलेखानुसार पत्री श्री अर्जुन सिंह निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन केता श्रीमती सीमा पवी श्री रामेश्वर निवासी दिल्ली ने भी स्वीकार किया।

श्री अर्जुन सिंह निवासी ऋषिकेश तथा श्री जिनकी पहचान श्री कुलविंदर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी ऋषिकेश ने की।
 राजेंद्र सिंह पत्र श्री खजेन्द्र सिंह निवासी ऋषिकेश ने की।

उपनिबन्धक
 देवप्रयाग
 25-Oct-2017

यदि विक्रीत मूल्य/प्र. अर्थात् Umarchand Rcal Estate में परिभाषित "Real Estate Project" सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी भी सम्पत्ति

9/26/17

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० 88 फसली वर्ष 1419 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

- पूरब मे - भूमि डॉ० पुरी आदि, सीमा नाप 71 फीट।
 पश्चिम मे - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।
 उत्तर मे - खाला, सीमा नाप 28 फीट 6 इंच।
 दक्षिण मे - सडक 25 फीट चौडी, सीमा नाप 30 फीट।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता नाम श्रीमती परमजीत कौर हस्ताक्षर
 बाया हाथ:(Left Hand) अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Pamjit K.




दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा अनामिका

कनिष्ठा



बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 789 वर्ष 2017



Parmjit Kaur

परमजीत कौर



Seema

सीमा



Rajendra Singh

राजेंद्र सिंह



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
25 Oct 2017



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK38682905800847P
Certificate Issued Date	: 25-Oct-2017 10:06 AM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120730477853822991357P
Purchased by	: SEEMA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: -
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SEEMA
Second Party	: SEEMA
Stamp Duty Paid By	: SEEMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Smt. S. Bisht
Stamp Vendor
Court Compound, Rishikesh

Please write or type below this line.....

शपथपत्र

समस्त:- श्रीमान सब-रजिस्ट्रार महोदय, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल।
शपथपत्र ओर से :- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90,
ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।

SEEMA

Statutory Alert

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shrestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and/or availability of the website renders it invalid.
The validity of this stamp certificate is subject to the terms and conditions of the website.

-2-

मैं उपरोक्त शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि :-

- 1- यहकि शपथकर्ती का उपरोक्त नाम एवं पता सत्य एवं सही है।
- 2- यहकि शपथकर्ती एतद् घोषणा करती है कि शपथकर्ती उत्तराखण्ड यूपी0जेड0ए0एक्ट का खातेदार नहीं है और ना ही शपथकर्ती ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है, शपथकर्ती उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं0 29/03 की धारा 154 (4)(3)(1)(क)के अन्तर्गत 250 मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है तथा सदैव अधिनियम का पालन करती रहेगी।



शपथकर्ती
Seema

मैं उपरोक्त शपथकर्ती आज दिनांक 25.10.2017 को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में पुष्टि करती हूँ कि उपरोक्त बयान मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

शपथकर्ती Seema

This Affidavit is made and sworn to by
 Smt. Seema
 Witnessed by
3/10/17
25/10/2017
25/10/2017

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA




पारमजीत कौर
PARAMJEET KAUR
जन्म तिथि/ DOB: 10/03/1954
महिला / FEMALE



मेरा आधार, मेरी पहचान


भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

SF J0528600




मतदाता का नाम : सीमा
Elector's Name : Seema
पति का नाम : रामेश्वर
Husband's Name: Rameshwar
पति / Sex : महिला / Female
11 2008 को आयु
Age as on 11 2008 : 38

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



सीमा
Seema

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1970
महिला / Female



आधार - आम आदमी का अधिकार

INSTRUCTIONS

निर्देश

- आधार पुराने का पता है, परिवर्तन का नहीं।
- पुश्पत का पता परिवर्तन ऑनलाइन एड्रेस एड्रेस करे।
- किसी प्रकार की फेर के लिए -
- कोड नं. 1000 100 1047 पर ध्यान करे, अथवा
- कोड नं. 1000 100 1047 पर ध्यान करे, अथवा
- हाल्प@uidai.gov.in पर ईमेल करे।


UNION OF INDIA Driving Licence

UK 14 2017 0103306

07-09-2017 @ 05-05-2031

06-05-1981 Unknown

SH. ARJUN SINGH




247 (67)



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: W/O Arjun Singh, S. J. Hiratal
Marg., - Rishikesh, Dehradun,
Uttarakhand - 249201

पत्रकार
बाबा हाथ (Left H)

Date: 28/10/2017

57-PATPARGANJ Assembly
Facsimile Signature of the
Electoral Registration Officer
for 57-PATPARGANJ Assembly
Constituency

6210 1071 8033

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

यदि पता बदलने पर, तब पता बदलना या किसी अन्य नामावली में नाम बदलने तथा जो भी पता बदलने का कार्य करना आवश्यक है।
In case of change in address, mention the Card Number in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: W/O Kamleshwar
A-40 CHANDER VIHAR, I.P. EXTN.
KALI MANDIR
JANPRAWALI FAZAL PUR, DELHI
East Delhi, Delhi-110092

UK14 2017 010330G

07-06-2017 07-06-2017

*****0707

07-09-2017

UK14 AAD 010330G/2017

513 MIRA LAL MARG RISHIKESH
DEHRADUN,
Rajesh Dehradun, UK 249201

SUP 910 RISHIKESH, DEHRADUN

Aadhaar - Aam Aadmi Ka Adhikaar



2- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा

-5-
नाम
तर्जनी

श्रीमती सीमा
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



Seema

दायां हाथ: (Right Hand) अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 25.10.2017 ई० को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता *Paramjit Kaur*

ह० क्रेता

Seema

(श्रीमती परमजीत कौर)

(श्रीमती सीमा)

ह० गवाह

[Signature]

ह० गवाह

[Signature]

श्री कुलविन्दर सिंह
पुत्र श्री अर्जुन सिंह
निवासी- 513, हीरालाल मार्ग
ऋषिकेश जिला देहरादून।

श्री राजेन्द्र सिंह
पुत्र श्री खचेडू सिंह
निवासी- हरिद्वार रोड
ऋषिकेश जिला देहरादून।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्त पसु फोटो प्रमाणितकर्ता:-


अतुल सिंह
प्रबुक्कट।

तकण मेरे कार्यालय में किया गया।

Compound, Rishikesh

बही संख्या 1 जिल्द 412 के पृष्ठ 59 से 84 पर क्रमांक 789

पर आज दिनांक 25 Oct 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
25 Oct 2017



70

Anurag 2/15

विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र	-	6.50,000 / ₹0	10,000--
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया	-	6.59,000 / ₹0	5000--
मौजा	-	तपोवन ।	1000--
विक्रीत रकबा	-	188.19 वर्ग मीटर।	1000--
सर्किल दर	-	3,500 / रुपये प्रति वर्ग मीटर।	500--
मुख्य मार्ग से दूरी	-	लगभग 200 मीटर से अधिक।	100--
स्टाम्प शुल्क	-	24,800 / ₹0	24800--

मैंकि श्री नवीन कुमार (PAN ANKPK3699Q) पुत्र श्री श्री किशन निवासी-
ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल हाल
निवासी- ग्राम धौलास, राजावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून ।

विक्रेता

निम्नलिखित सम्पत्ति वाकै - भूमिधरी भूमि खाता खतीनी सं० पुराना 41 व नया
86 खसरा नं० पुराना 66 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा
नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि
188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी
गढ़वाल ।

के मालिक व काविज है और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, से मुक्त
है उसको बदस्त श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q) पत्नी श्री अर्जुन सिंह
निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

क्रेता

को विक्रय कर दिया है बदले मे विक्रय धन - 6,50,000 / ₹0 ।

(छः लाख पचास हजार रुपये)

ले खानुसार

प्राप्त

किया

विक्रेता:- श्री नवीन कुमार (PAN ANKPK3699Q)

क्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q)

गवाह:- श्री कपिल गुप्ता, पहचान पत्र सं० JGB2417202

गवाह:- श्री राजेश अग्रवाल, पहचान पत्र सं० JGB2337517

Parmjit Kaur . 2



(15/1)

-2-

विक्रय पत्र

मैंकि श्री नवीन कुमार पुत्र श्री श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढवाल हाल निवासी- ग्राम धौलास, राजावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून ।
विक्रेता

एवं

श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।
क्रेता

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन रहन, आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित व दर्ज चली आ रही है। भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व0 वहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शंखरी देवी उर्फ शोपरी देवी दोनों पत्निया स्व0 श्री वहादुर सिंह निवासी तपोवन टि0ग0 से क्रय किया हुआ है जिसका पंजीकरण बही नं0 01 जिल्द 235 के पृष्ठ 209 से 224 दस्तावेज नं0 85, दिनांकित 15.01.2008 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवप्रयाग में विधियत दर्ज है। इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वच्छा से क्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह को मु0 6,50,000/- रूपये (छ लाख पचास हजार रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्राप्त कर ली है। इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है। कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे ।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के सारते, हवा, पानी, गाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेगा।

Wah
Paramjit Kaur.

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानो की होगी ।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जें खर्चें सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे ।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है । इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षो के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे ।

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध मे विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व मे कोई इकरारनामा पजीकृत नहीं हुआ है ।

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड, बाग या निर्माण आदि नहीं है ।

यहकि विक्रीत भूमि आबादी वाली भूमि है ।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन, परगना व तहसील नरेन्द्रनगर, पट्टी धमान्दस्वू, जिला टिहरी गढ़वाल मे स्थित है तथा बद्दीनाथ मुख्य मोटर मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है ।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय मे कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है ।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 3.500 / रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 6.59.000 / रूपये होता है, जिसमे नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है ।

स्टाम्प शुल्क 24,800 / रूपये अदा किया गया है ।

यहकि नवीन कुमार विक्रेता मै0 डैक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो 30 फीट चौड़ा मार्ग विक्रेता की भूमि व सम्पत्ति में आने जाने हेतु निर्मित किया हुआ है उसका उपयोग व उपभोग क्रेता आने जाने हेतु करेगा तथा क्रेता महोदय को आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त रहेगा तथा उक्त रास्ते का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा रास्ता केवल रास्ता ही रहेगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता के विस्तारकर्ता मै0 डैक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो आवासीय भवन निर्मित किये है, उक्त आवासीय भवनों की सोसाइटी या भविष्य में यदि किसी सोसाइटी का निर्माण होता है तो उक्त सोसाइटी भी क्रेता के आवागमन वाले रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

यहकि क्रेता महोदय को अपनी उक्त भूमि में निर्माण हेतु समान ले जाने हेतु क्रेता द्वारा अधिकृत वाहन पर कोई भी व्यक्ति / सोसाइटी हस्तक्षेप व अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही विक्रेता / क्रेता व अन्य व्यक्ति आवागमन वाले मार्ग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगें ।

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू0पी0जेड0ए0एक्ट की खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं0 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है ।

Parmjit Kaur.

74

गुमिबरी गुमि
68 व फसल

1025

परमजीव
उपान
103

659850

राजेश कुमार

डी प्रशासनिक
राजेश कुमार
राजेश कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार

8

राजेश कुमार (2011) परमजीव (2011) राजेश कुमार (2011) राजेश कुमार (2011)

राजेश कुमार




(विवरण विक्रीत भूमि)


भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० पुराना 41 व नया 86 खसरा नं० पुराना 66 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

पूरब मे - डा० पुरी आदि की भूमि, सीमा नाप 71 फीट 1 इंच ।
 पश्चिम मे - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच ।
 उत्तर मे - खाला ।
 दक्षिण मे - 25 फीट चौड़ी रोड, सीमा नाप 30 फीट ।


रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार	विक्रेता	नाम	श्री नवीन कुमार	हस्ताक्षर	
बाया हाथ:	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

दायां हाथ:	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
------------	---------	--------	--------	---------	---------

2- पक्षकार	क्रेता	नाम	श्रीमती परमजीत कौर	हस्ताक्षर	
बाया हाथ	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

दायां हाथ:	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
------------	---------	--------	--------	---------	---------



Parmjit Kaur.

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 15.12.2012 ई० को स्थान तपोवन, मुनि की रेती जिला टिहरी गढ़वाल में विक्रेता द्वारा गवाहान के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता
(नवीन कुमार)

ह० क्रेता
(श्रीमती परमजीत कौर)

ह० गवाह
राजेश अग्रवाल
पुत्र श्री रमेश अग्रवाल
नि० गंगानगर, ऋषिकेश
जिला देहरादून ।

ह० गवाह
कपिल गुप्ता
पुत्र श्री सच्चिदानन्द गुप्ता
नि० आवास विकास, ऋषिकेश,
जिला देहरादून ।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्यत पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-
ललित मोहन मिश्रा,
एडवोकेट ।

टकण मेरे कार्यालय में किया गया ।

(72)

Gove



सर्वोच्च न्यायालय

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account No.

PH-1

15.0

क्रमांक I 298 1018 से 1025
 1200 15/12/2012
Ran Datta Mishra
 15/12/2012



(25)




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK83388171502814Q
Certificate Issued Date	: 15-Sep-2018 02:56 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1254204/ TEHRU/ UK-TG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK125420468181399292933Q
Purchased by	: ATTUL BISHT
Description of Document	: Article 24 Copy or Extract
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: NA
Second Party	: ATTUL BISHT
Stamp Duty Paid By	: ATTUL BISHT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)

Attul Bisht
 STAMPS VENDER
 TASHI DEWBRAYAS IT C.



Please write or type below this line.....

तम सं. - 270

To 1 निल 298 के पृष्ठ 10/8/1025 True copy
 कम सख्या 1200 दिनांक 15/12/12
 विक्रीकर्ता R.D. Mishra
 (81) 15/12/12
 पंजीकृत
 स्थान: टिहरी नरबल

सत्यमेव जयते
 टिहरी नरबल

726773

012

29

पत्नी द्वारा रखा जाने वाला)
 कम राख्या
 शून्य पर प्रस्तुत करने का दिनांक 15/12/2012
 पत्नी का नाम परमजीत कौर
 पता नया नं० 5/3-100001-
 1. अधिस्वीकरण शुल्क
 2. प्रतिनिधित्व शुल्क 10000 + 20 = 10020/-
 3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
 4. मूल्यांकन के अधिपमाणीकरण के लिए शुल्क
 5. कगेशन शुल्क (नल रजिस्ट्रार व)
 6. विधि
 7. याचिक भत्ता 15/12/2012
 शून्य पर प्रस्तुत करने का दिनांक 15/12/2012
 दिनांक जब लेख्य प्रतिनिधि या तलाश प्रमाण-पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा
 अधिस्वीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
 राजेश अग्रवाल

पंजीयन (वि. प्र.)

6,50,000 / ₹
 6,59,000 / ₹
 तपोवन ।
 188.19 वर्ग मीटर ।
 3,500 / रुपये प्रति वर्ग मीटर ।
 लगभग 200 मीटर से अधिक ।
 24,800 / ₹
 599Q) पुत्र श्री श्री किरान निवासी-
 नगर, जिला टिहरी गढ़वाल हाल
 विकासनगर, जिला देहरादून ।
 विक्रेता
 ता खतीनी सं० पुराना 41 व नया

86 खसरा नं० पुराना 86 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल ।
 के मालिक व काबिज है और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, से मुक्त है उसको बदरत श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q) पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।
 क्रेता

को विक्रय कर दिया है बदले मे विक्रय धन - 6,50,000 / ₹
 (छः लाख पचास हजार रुपये)


लेखानुसार प्राप्त किया
 विक्रेता - श्री नवीन कुमार (PAN ANKPK3699Q)
 क्रेता - श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q)
 गवाह - श्री कपिल गुप्ता, पहचान पत्र सं० JGB2417202
 गवाह - श्री राजेश अग्रवाल, पहचान पत्र सं० JGB2337517

Permit Kour
 2.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

₹.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

897469

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

विक्रय पत्र



मैंकि श्री नवीन कुमार पुत्र श्री श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन, पट्टी
घमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल हाल निवासी- ग्राम
धौलास, राजावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून ।
विक्रेता




एवं

श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार
मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।
क्रेता

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त
में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के
भार, बन्धन, रहन, आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

Paramjit Kaur

15 DEC



उत्तरांचल UTTARANCHAL

2

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित व दर्ज चली आ रही है, भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व० बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शेखरी देवी उर्फ शेपरी देवी दोनों पत्नियां स्व० श्री बहादुर सिंह निवासी तपोवन टि०ग० से क्रय किया हुआ है जिसका पंजीकरण बही नं० 01 जिल्द 235, के पृष्ठ 209 से 224, दस्तावेज नं० 85, दिनांकित 15.01.2008 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवप्रयाग में विधिवत् दर्ज है, इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

Prasjit kaur.

N.J. Stamp Rs. 500/-

क्रमांक 347 I श्रीमान/प्रबन्धक को
W/O श्री. राजेश सिंह
513 ए.ए. लाल मार्ग
अजमेर

कोषाधिकारी
न. न. न.
20-10-11

पंजीयन क्रमांक
513 ए.ए. लाल मार्ग
659000/-
श्री. राजेश सिंह
अजमेर

स्वीकार किया
श्री. राजेश सिंह
रजिस्ट्रार अजमेर
राजेश सिंह
जगमोहन (21992)
माधव शर्मा (21992)
राजेश सिंह
राजेश सिंह
Rajesh Mohan
15/12/2012
अजमेर, दि. 15/12/2012
Rajesh Mohan

V. S.

Rajesh Mohan

15



राजेश सिंह
Rajesh Mohan
15/12/2012
अजमेर, दि. 15/12/2012



अंचल UTTARANCHAL


3.

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा मे, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह को मु0 6.50,000/रुपये (छः लाख पचास हजार रुपये) के प्रतिफल के बदले मे इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्राप्त कर ली है, इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे ।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है । वर्णित विक्रीत भूमि मे जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य मे प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे ।

Parmita Kaur

4.



503046

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

4.


यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों, से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स, लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

Mark = Parmjit Kaur.

5.



अधिक जमीन भूमि का विक्रय मग शर्तिकाएर सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पर के भाग्य विक्रेताओं एवं केता के उत्तराधिकारी हित प्रतिनिधि सम्बन्धित सम्बन्ध को सम्भलित सम्भल जावेगे तथा वह भी शर्तों के समान शर्तों इस विक्रय पर का भाग्य करेगे ।

वाकित विवरण

अधिक विक्रेता भूमि के का विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं केता के मध्य पूर्व के कर्तव्य सम्बन्धित सम्बन्धित नहीं है।
 अधिक विक्रेता के कर्तव्य सम्बन्धित जाते का जाते से सम्बन्धित नहीं है ।
 अधिक विक्रेता भूमि के का विक्रय पर के कर्तव्य पर का विक्रय जाते नहीं है।
 अधिक विक्रेता भूमि के कर्तव्य सम्बन्धित जाते का जाते से सम्बन्धित नहीं है ।
 अधिक विक्रेता भूमि के कर्तव्य सम्बन्धित जाते का जाते से सम्बन्धित नहीं है ।

Paragjit Kaur



627290

ज्जाराखण्ड UTTARAKHAND

6.


यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 3.500/रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 6.59.000/रुपये होता है, जिसमें नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

स्टाम्प शुल्क 24.800/रुपये अदा किया गया है।

यहकि नवीन कुमार विक्रेता मै० डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो 30 फीट चौड़ा मार्ग विक्रेता की भूमि व सम्पत्ति में आने जाने हेतु निर्मित किया हुआ है उसका उपयोग व उपभोग क्रेता आने जाने हेतु करेगा तथा क्रेता महोदय को आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त रहेगा तथा उक्त रास्ते का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा रास्ता केवल रास्ता ही रहेगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता के विस्तारकर्ता मै० डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा आवासीय भवन निर्मित किये हैं उक्त आवासीय भवनों की सोसाइटी या भविष्य में यदि किसी सोसाइटी का निर्माण होता है तो उक्त सोसाइटी भी क्रेता के आवागमन वाले रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

Parmjit Kaur.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

7.

यहकि क्रेता महोदय को अपनी उक्त भूमि में निर्माण हेतु समान ले जाने हेतु क्रेता द्वारा अधिकृत वाहन पर कोई भी व्यक्ति/सोसाइटी हस्तक्षेप व अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही विक्रेता / क्रेता व अन्य व्यक्ति आवागमन वाले मार्ग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगे ।

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू0पी0जेड0ए0एक्ट की खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं0 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है ।

V Mukh = Parmjit Kaur .

(89)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

521900

ल UTARANCHAL

8.

(विवरण विक्रीत भूमि)

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० पुराना 41 व नया 88 खसरा नं० पुराना 68 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

- पूरब मे - डा० पुरी आदि की भूमि, सीमा नाप 71 फीट 1 इंच ।
पश्चिम मे - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच ।
उत्तर मे - खाला ।
दक्षिण मे - 25 फीट चौड़ी रोड, सीमा नाप 30 फीट ।

Handwritten: Ramjit Koul.

98

15 DEC 2011



G 753418

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

9.

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता नाम श्री नवीन कुमार हस्ताक्षर

बायां हाथ: अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दायां हाथ: अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Parrajit Kaur.

271

(91)



Small, illegible text or markings on the bottom left corner of the page, possibly a label or reference code.

(92)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

G 753419

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

2- पक्षकार	क्रेता	नाम	श्रीमती परमजीत कौर	हस्ताक्षर
बायां हाथः	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	कनिष्ठा
दायां हाथः	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 15.12.2012 ई० को स्थान तपोवन, मुनि की रेती जिला टिहरी गढ़वाल में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

Paramjit Kaur.



ह0 विक्रेता Manish
(नवीन कुमार)

ह0 क्रेता Paramjit Kaur
(श्रीमती परमजीत कौर)

ह0 गवाह Amal
राजेश अग्रवाल
पुत्र श्री रमेश अग्रवाल
नि0 गंगानगर, ऋषिकेश
जिला देहरादून ।

ह0 गवाह KS
कपिल गुप्ता
पुत्र श्री सच्चिदानन्द गुप्ता
नि0 आवास विकास, ऋषिकेश,
जिला देहरादून ।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्यत पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-

ललित मोहन मिश्रा,

एडवोकेट।

टंकण मेरे कार्यालय में किया गया ।

(94)


अंश/विशेष
स्वास्थ्य विभाग

सोमलिता
कोसामार परमेश्वरनगर
जिल्हा न्यायालय

1 DEC 2012

क्र. 298
तक. क्र. 1206
को. क्र. 1206
10/8/12
15/12/2012
Ran Datta Mishra
15/12/2012
विभागाध्यक्ष, कोसामार

मेरठ सभागीय नियोजन खण्ड ,
 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश



संकेतिका

1. नगर क्षेत्र (Urban Area)
 2. ग्राम क्षेत्र (Rural Area)
 3. नदी (River)
 4. झील (Lake)
 5. पहाड़ (Hill)
 6. सड़क (Road)
 7. रेलवे लाइन (Railway Line)
 8. बिजली लाइन (Electricity Line)
 9. पानी का सोला (Water Tap)
 10. पब्लिक वॉटर सप्लाय (Public Water Supply)
 11. पब्लिक टॉयलेट (Public Toilet)
 12. पब्लिक स्कोल (Public School)
 13. पब्लिक हेल्थ सेंटर (Public Health Center)
 14. पब्लिक मॉड्यूलर बिल्डिंग (Public Modular Building)
 15. पब्लिक मॉड्यूलर हॉम (Public Modular Home)
 16. पब्लिक मॉड्यूलर ऑफिस (Public Modular Office)
 17. पब्लिक मॉड्यूलर स्टोर (Public Modular Store)
 18. पब्लिक मॉड्यूलर क्लब हाउस (Public Modular Club House)
 19. पब्लिक मॉड्यूलर क्रीडा केंद्र (Public Modular Sports Ground)
 20. पब्लिक मॉड्यूलर पार्क (Public Modular Park)
 21. पब्लिक मॉड्यूलर प्लेग्राउंड (Public Modular Playground)
 22. पब्लिक मॉड्यूलर स्पोर्ट्स ग्राउंड (Public Modular Sports Ground)
 23. पब्लिक मॉड्यूलर स्टेडियम (Public Modular Stadium)
 24. पब्लिक मॉड्यूलर थिएटर (Public Modular Theater)
 25. पब्लिक मॉड्यूलर सिनेमा हॉल (Public Modular Cinema Hall)
 26. पब्लिक मॉड्यूलर म्यूजियम (Public Modular Museum)
 27. पब्लिक मॉड्यूलर गैलरी (Public Modular Gallery)
 28. पब्लिक मॉड्यूलर लाइब्रेरी (Public Modular Library)
 29. पब्लिक मॉड्यूलर क्लब हाउस (Public Modular Club House)
 30. पब्लिक मॉड्यूलर क्रीडा केंद्र (Public Modular Sports Ground)

ऋषिकेश महायोजना

हरिद्वार विकास क्षेत्र (गाँव ब)

2011

संकेतिका

1. नगर क्षेत्र (Urban Area)
 2. ग्राम क्षेत्र (Rural Area)
 3. नदी (River)
 4. झील (Lake)
 5. पहाड़ (Hill)
 6. सड़क (Road)
 7. रेलवे लाइन (Railway Line)
 8. बिजली लाइन (Electricity Line)
 9. पानी का सोला (Water Tap)
 10. पब्लिक वॉटर सप्लाय (Public Water Supply)
 11. पब्लिक टॉयलेट (Public Toilet)
 12. पब्लिक स्कोल (Public School)
 13. पब्लिक हेल्थ सेंटर (Public Health Center)
 14. पब्लिक मॉड्यूलर बिल्डिंग (Public Modular Building)
 15. पब्लिक मॉड्यूलर हॉम (Public Modular Home)
 16. पब्लिक मॉड्यूलर ऑफिस (Public Modular Office)
 17. पब्लिक मॉड्यूलर स्टोर (Public Modular Store)
 18. पब्लिक मॉड्यूलर क्लब हाउस (Public Modular Club House)
 19. पब्लिक मॉड्यूलर क्रीडा केंद्र (Public Modular Sports Ground)
 20. पब्लिक मॉड्यूलर पार्क (Public Modular Park)
 21. पब्लिक मॉड्यूलर प्लेग्राउंड (Public Modular Playground)
 22. पब्लिक मॉड्यूलर स्पोर्ट्स ग्राउंड (Public Modular Sports Ground)
 23. पब्लिक मॉड्यूलर स्टेडियम (Public Modular Stadium)
 24. पब्लिक मॉड्यूलर थिएटर (Public Modular Theater)
 25. पब्लिक मॉड्यूलर सिनेमा हॉल (Public Modular Cinema Hall)
 26. पब्लिक मॉड्यूलर म्यूजियम (Public Modular Museum)
 27. पब्लिक मॉड्यूलर गैलरी (Public Modular Gallery)
 28. पब्लिक मॉड्यूलर लाइब्रेरी (Public Modular Library)
 29. पब्लिक मॉड्यूलर क्लब हाउस (Public Modular Club House)
 30. पब्लिक मॉड्यूलर क्रीडा केंद्र (Public Modular Sports Ground)

1. नगर क्षेत्र (Urban Area)
 2. ग्राम क्षेत्र (Rural Area)
 3. नदी (River)
 4. झील (Lake)
 5. पहाड़ (Hill)
 6. सड़क (Road)
 7. रेलवे लाइन (Railway Line)
 8. बिजली लाइन (Electricity Line)
 9. पानी का सोला (Water Tap)
 10. पब्लिक वॉटर सप्लाय (Public Water Supply)
 11. पब्लिक टॉयलेट (Public Toilet)
 12. पब्लिक स्कोल (Public School)
 13. पब्लिक हेल्थ सेंटर (Public Health Center)
 14. पब्लिक मॉड्यूलर बिल्डिंग (Public Modular Building)
 15. पब्लिक मॉड्यूलर हॉम (Public Modular Home)
 16. पब्लिक मॉड्यूलर ऑफिस (Public Modular Office)
 17. पब्लिक मॉड्यूलर स्टोर (Public Modular Store)
 18. पब्लिक मॉड्यूलर क्लब हाउस (Public Modular Club House)
 19. पब्लिक मॉड्यूलर क्रीडा केंद्र (Public Modular Sports Ground)
 20. पब्लिक मॉड्यूलर पार्क (Public Modular Park)
 21. पब्लिक मॉड्यूलर प्लेग्राउंड (Public Modular Playground)
 22. पब्लिक मॉड्यूलर स्पोर्ट्स ग्राउंड (Public Modular Sports Ground)
 23. पब्लिक मॉड्यूलर स्टेडियम (Public Modular Stadium)
 24. पब्लिक मॉड्यूलर थिएटर (Public Modular Theater)
 25. पब्लिक मॉड्यूलर सिनेमा हॉल (Public Modular Cinema Hall)
 26. पब्लिक मॉड्यूलर म्यूजियम (Public Modular Museum)
 27. पब्लिक मॉड्यूलर गैलरी (Public Modular Gallery)
 28. पब्लिक मॉड्यूलर लाइब्रेरी (Public Modular Library)
 29. पब्लिक मॉड्यूलर क्लब हाउस (Public Modular Club House)
 30. पब्लिक मॉड्यूलर क्रीडा केंद्र (Public Modular Sports Ground)

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2021-1(2 न0नि0)/2021

देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "भारत का संविधान" के भाग 9क के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत, "अनुसूची-एक" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत तपोवन के नाम से गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1616/IV(3)/2021-1(2 न0नि)2021 दिनांक 28.10.2021 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत, तपोवन जिला टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

R.N-152/58K

पंजीयन सं. 8 दिनांक 4/11/2021 "अनुसूची-एक"

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या
1	तपोवन	909	62.005	3227
2	घुघत्याणी-तल्ली	934	24.614	410
3	घुघत्याणी-मल्ली	327	7.608	62
4	जामरी काटल	147	3.258	71
5	पार्थो मध्ये विलखेत तोक	वन क्षेत्रान्तर्गत		120
कुल योग:-		2317	97.485	3890

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

(90)

संख्या- (1)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगापी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1853 (2)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

(99)

Annexure 2/B




280

100




281

101



102



TAPOVAN

तपोवन

Ganges

730.28 m

400 m




Measure



Move the map and add points to measure distances and area



Annexe R19



Tin No.: 05017069309

BILL/CASH MIMO

9058522777
9897759984

M/S VANSI ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No. 713. Date: 15/07/23

Name: Anil Mehra Address: Meer Deora Vaidya

Address: Meer Deora Vaidya Tehri Garhwal

Sr.N. Description Qty Unit Rate Amount

Supply of water tank

(2107/23 to 15/07/23) 8 No. Qty 3200/-

Total : 28000
Val. : %
Grand Total : 3200

Amount (in Words) : Three Thousand Two Hundred
E & O.E. For Vansh Enterprises

Authorized Signature

Tin No.: 05017069309

BILL/CASH MIMO

9058522777
9897759984

M/S VANSI ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No. 726. Date: 20/08/23

Name: Anil Mehra Address: Meer Deora Vaidya

Address: Meer Deora Vaidya Tehri Garhwal

Sr.N. Description Qty Unit Rate Amount

Supply of water tank

(21/08/23 to 20/08/23) 7 No. Qty 28000

Total : 28000
Val. : %
Grand Total : 28000

Amount (in Words) : Two Thousand Eight Hundred
E & O.E. For Vansh Enterprises

Authorized Signature

Tin No.: 05017069309

90135-2457277

BILLCASH MIMO

9058522777
9897759984

M/S VANSI ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No.: 714

Date: 27/12/23

Name: Anil Mehra

Address: Near Deem Valley Japuram

For Cash Cartage

Sr.N.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Supply of water tanks	5	No	400/-	2000/-
Total:					2000/-
Vat: %					0
Grand Total:					2000/-

Amount (in Words): Five thousand only

E & O E

For Vansh Enterprises

Authorized Signature

Tin No.: 05017069309

90135-2457277

BILLCASH MIMO

9058522777
9897759984

M/S VANSI ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No.: 739

Date: 15/10/23

Name: Anil Mehra

Address: Near Deem Valley Japuram

For Cash Cartage

Sr.N.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Supply of water tanks	7	No	400/-	2800/-
Total:					2800/-
Vat: %					0
Grand Total:					2800/-

Amount (in Words): Two thousand eight hundred only

E & O E

For Vansh Enterprises

Authorized Signature

॥ जय मां कर्ण देवी ॥

9412154298
8630095500

288



॥ जय मां कर्ण देवी ॥

9412154298
8630095500

नेगी ट्रस्ट्स

नेगी ट्रस्ट्स

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 374

दिनांक 15/4/24

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 385

दिनांक 20/6/24

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि ₹
	12 ईंट पार्क		400	4800
			योग	4800

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि ₹
	20 ईंट पार्क		400	8000
			योग	8000

भूल-चूक लेनी देनी



नेगी ट्रस्ट्स

8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 349

दिनांक 10/1/24

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि ₹
	10 ईंट पार्क		400	4000
			योग	4000



नेगी ट्रस्ट्स

8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 366

दिनांक 2/2/24

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि ₹
	8 ईंट पार्क		400	3200
			योग	3200

109



॥ जय माँ कर्ण देवी ॥

नेगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 371

दिनांक 7/3/24

नाम अरुण देवा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि ₹
	14 ट्रेडर्स पत्ता		400	5600
		योग	5600	-

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर



कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन (गंगा),

उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश

निकट अरोका होटल, हीरालाल रोड ऋषिकेश, वेरादून ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
साकेत कॉलोनी, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून।

पत्रांक 143 / तपो0जलो0यो0 / 2024-25

दिनांक 02/07/24

विषय:- तपोवन स्थित निर्माणधीन छ: भवनों के सीवर सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे हुयी फ़ोन पर वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा कृदसएण्य के माध्यम निम्न भवनों की सीवर सम्बन्धी आख्या चाही गई है।

1. श्री राजेश अग्रवाल, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
2. स्व0 श्रीमती शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी, घुघत्यानी तल्ली डीकॉन वैली तपोवन।
3. श्री अतुल नेहर, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
4. श्री दीपक कण्डारी, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
5. श्री रंजन गुप्ता/ श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/ श्री अमित, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
6. श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नेटवर्किंग उपलब्ध है तथा उक्त निर्माणधीन भवनों को सीवर से संयोजित किया जा सकता है।

भवदीय


(हरीश कुमार बंसल)

सहायक अभियन्ता

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री राजेश अग्रवाल/अन्य का तपोवन, घुघत्याणी गल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/त्रिषि0/87/2017-18, दिनांक-03/11/2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी0 एवं गहराई 18.30 मी0 तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी0 है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस0टी0पी0 नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक-08-07-2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।


 सहायक अभियन्ता
 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
 टिहरी, नरेन्द्रनगर।

(13)

13

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0027/2023, दिनांक-08/11/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2362.50 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।




सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,


श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक-21/08/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-13-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक-12/10/2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नही है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

(114)

निरीक्षण आख्या

महोदय,

स्व० श्रीमती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो०/टि०/40/2020-21, दिनांक-08/07/2020 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 20.75 मी० एवं औसत गहराई 8.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 184.67 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 738.68 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नही है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-110/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक-08/12/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 846.35 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर,
सहारनपुर रोड देहरादून।

01/8/17

पत्रांक 770 / मान0 सैल-विविध / 15-16

दिनांक 15/8

- 1-समस्त सहायक अभियन्ता,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।
- 2-समस्त अवर अभियन्ता,
मानचित्र सैल।
- 3-समस्त अवर अभियन्ता,
अवैध निर्माण सैल।
- 4-ड्राफ्ट्समैन / लेखपाल / पटवारी,
म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।

विषय:- मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में प्रेषित संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लैक्स डिस्पेंसरी रोड देहरादून के पत्र संख्या 311 दिनांक 12.7.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 की प्रति इस आशय से संलग्न की गयी है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मान0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, अतः उक्त आदेश की प्रति आपको अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपयुक्त।

अधिशारी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ व अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- 2 सचिव, महोदय म0दे0वि0प्रा0।
- 3-अधीक्षक अभियन्ता म0दे0वि0प्रा0।

अधिशारी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्ट्रिक्ट रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
Website- uhuda.org.in E-mail- uhudaok@gmail.com, info@uhuda.org.in

दिनांक: 12.04.2017

पत्रांक:- 311 / उडा-171 / एन0जी0टी0 / 2016-17

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
गसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।
2. उपाध्यक्ष,
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।
3. सचिव,
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, नैनीताल ।
4. सचिव,
दून-घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।
5. उपाध्यक्ष
स्थानीय प्राधिकरण,
बद्रीनाथ/औली/गौचर/गैरसौण /
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर/पौडी/उत्तरकाशी
/चमोली-गोपेश्वर ।
6. उपाध्यक्ष
स्थानीय प्राधिकरण,
पिथौरागढ़/कौशानी-त्वेशाल/बागेश्वर/
चम्पावत/रामनगर/हल्द्वानी-काठगोदाम ।
नाज़पुर/किष्का/काशीपुर/रुद्रपुर

विषय:- मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 की प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मा० एन०जी०टी० के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। (संलग्न मा० एन०जी०टी० के निर्णय की प्रति)।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Secretary

12/4/17

V.C.
21/3/17

भावदीय

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक ।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

1332
24/3/17

Map Cell

SA
24/3/17

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक ।

मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड़, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीसीबी/एच.ओ/सा0-183(217)/2017-148-136

दिनांक 5.05.2017

फैक्स/पीड पोस्ट द्वारा
कोर्ट गैटर/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. रागस्त जिलाधिकारी। चमोली/रुद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/पौड़ी/देहरादून/हरिद्वार/बागेश्वर/अल्मोड़ा/चम्पावत/नैनीताल/उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, तुलसी चौक मायापुर, हरिद्वार। फैक्स-01334-265702
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहायपुर रोड़, नियम आई.एस.बी.टी., देहरादून। फैक्स-0135-66031031
4. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी काम्पलैक्स, नियर तहसील, डिसपेन्सरी रोड़ देहरादून। फैक्स-0135-2719700
5. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साहा), 12, प्रीतम रोड़, देहरादून। फैक्स-0135-2669062
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, 53, टी.एच.डी.सी. विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलैक्स, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, 3/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड़, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊ मण्डल विकास निगम, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल। फैक्स-05942-2368971
10. सचिव, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल। फैक्स-05942-236041
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नारायण विहार, काशी रोड़, देहरादून। फैक्स-0135-2622590
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशोधन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड़, देहरादून।

विषय :- गा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत होना चाहें कि गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा मूल आवेदन संख्या-199/2014 एवं मूल आवेदन संख्या-61/2017 में दिनांक 25.04.2017 को अन्य आदेशों के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान की रक्षापना के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं-

"Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000Sq. Mtrs. area which will cover for construction area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the solid waste management Rule, 2016"

क्रमशः पेज-2

148
11.5.17

-2-

मा० एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मा० एन.जी.टी. के आदेश की छायाप्रति राज्य बोर्ड की वेबसाइट-<http://ueppeb.uk.gov.in/contents/listing/8%20NCTI%20orders> पर भी उपलब्ध है। कृपया अवगत होना चाहें कि विषयगत प्रकरण मा० एन.जी.टी. में विवादाधीन है।

संलग्नक :- यक्षोपरि।

सदस्य


सदस्य

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 13/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से राज्य के समस्त स्थानीय विकासियों को मा० एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन हेतु निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 199 of 2014

And

Original Application No. 61 of 2017
(Earlier OA No. 199 of 2014)

And

Original Application No. 281 of 2016
(M.A. No. 1007/2016 & M.A. No. 395/2017)

IN THE MATTER OF:

Amitra H. Patol & Anr. Vs. Union of India & Ors.

&

Kudrat Sandhu Vs. Govt. of NCT & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AJAY A DESHPANDE, EXPERT MEMBER

Present: Applicant :
Respondent :

Mr. Mandeep Kalra, Adv.
Ms. Divya Sharma, Adv.
Mr. Gautam Singh and Mr. Rudreswar Singh, Adv.
for State of Bihar and Bihar SPCB
Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
Ms. K. Enatoli Soma, Mr. Amithj and Mr. Amit Kumar
Slugh, Adv. for the State of Nagaland and Pollution
Control Board
Ms. Deep Shikha Dharati, Adv. for MoEF
Mr. Debarshi Bhuyan and Mr. S.S. Rebello, Adv. for
State of Goa and Goa SPCB
Mr. Anil Soni, AAG and Mr. Naginder Benipal, Adv.
Mr. On Prakash, Adv. Mr. Hemantika Wahi and Mr.
Kabir Hathi, Adv. For State of Gujarat
Mr. R. Rakesh Sharma, Adv. for State of TN & TNPCB
Ms. Aprajita Mukherjee, Adv.
Mr. Pradeep Misra and Mr. Dilooop Dhyani, Adv. For
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Mr. G.M. Kuvvosa, Adv. for State of J&K
Mr. Saurabh Prakash, Adv. for Zorba Entertainment
pvt. Ltd.
Mrs. Molini Sud, Adv., Mr. Ishau Khanna, Adv.
Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv. and
Mr. Vikas Malhotra, Adv. for Ministry of
Environment, Forest and Climate Change
Dr. Abhishek Atrey, Adv. for UT of Lakshadweep
Mr. S. Sukumaran, Mr. Anand Sukumar and Mr.
Bhupesh Kumar Pathak, Adv. for Municipal
Corporation of Gr. Mumbai
Mr. P.K. Agrawal, Ms. Mercy Hussain, Adv. for hotel
Leela ambience
Mr. Atul Sharma, Adv., Mr. Nitesh Jain, Adv., Ms.
Yamini Khurana, Adv. for Hotel Metropoltau
Mr. Sangram Pathak, Mr. Dhruvajt Sikhi, Mr. Dhiraj
Kumar, Mr. Swyansiddha Panulk, Mr Suresh Chandra,
Adv. For Hotel Samrat
Ms. Manisha T. Karla, Adv., Ms. Nidhi Nagpal, Adv.,
Ms. Soumya, Ms. Mudit Bood, Adv. For Holiday Inn
Hotel
Mr. Rahul Kumar, Adv. for Jawahar Lal Nehru society
Mr. Abhimanyu Mahajan, Adv., Ms. Anubha Goel,
Adv. for Hotel Leela Palace
Ms. Sakshi Popli, Adv. Ms. Pritika Singh, Adv. for
NDMC
Mr. Nitish Shrivastava, Adv. for M/s Golden radiance
palm hotel
Mr. Sudarshan Rajan, Adv Mr. Karajot Singh Malnee,
Adv. for Delhi Citizen Society
Ms. Pooja Kalra, Adv.
Mr. Riddhika Nanda, Adv., Mr. Sunil Raj, Adv. for
Hotleco No. 1 Max Healthcare Ltd.
Mr. Amit Agarwal, Adv., Ms. Asha Basu, Adv.
Mr. Shiv Mangal Sharma, AAG with Mr. Saurabh
Rajpal, Mr. Adhiraj Adv. for RSPCB
Mr. D.K. Thakur, AAG with Ms. Seema Sharma, Dy.
AG for State of Himachal Pradesh

Mr. Abhishek Yadav, Adv. for State of Uttar Pradesh
 with Mr. Raghuvendra Singh, Sr. Adv. General
 Mr. Jogy Searia, Adv. for Kerala State Pollution
 Control Board
 Ms. Sunita Sharma President and Mr. Arun Lal
 Gudda, Sec. for Bharat
 Mr. Taruna Sharma, Adv.
 Mr. Pradeep Hans, President, Neelkanth Apartment
 Rohini Delhi
 Mr. M.I.H Khan President RWA
 Mr. Rajul Shrivastav, Adv.
 Mr. D. K. Thakur AAG with Ms. Spoma Sharma, D&G
 for State of Himachal Pradesh
 Mr. Jayesh Gaurav Adv. for JSPCB
 Mr. Vikas Sood, Adv.
 Mr. B. V. Niren, and Mr. Vinyak Gupta, Advs.
 Mr. Pinaki Misra, Sr. Adv. and Mr. Manu Aggarwal,
 Advs.
 Mr. Arjun Pant, Adv. Mr. Pallav Pandey, Adv. for Res.
 17-hotel Lalit
 Mr. Tarun S. and Mr. Amit Gupta, Advs.
 Dr. V.N.V Satish, Adv. for GTD Hospital.
 Mr. Anuj Aggarwal for Dharamshala Hospital Noticee
 No. 9
 Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
 Ms. Meenakshi Parihan, Mr. Anurag Dubey, Advs for
 M/s Lillywhite hotel Mr. Nishe-Rajen Shonker, Adv.
 for State of Kerala
 Mr. Sudeep Kr. Shastriya, Adv., Mr. Pratyaksh Raj,
 Adv. for Park Plaza Hotel
 Mr. Anil Grover, AAG with Mr. Rahul Khurana Adv.
 for State of Haryana and Haryana Pollution Control
 Board
 Ms. Sapam Biewajit, Adv., Mr. Nareesh Kumar Gaur,
 Adv.
 Mr. Guntur Prabhakar and Mr. Guntur Pramod Kumar
 and Mr. Prashant Mathur, Advs. for State of AP
 Ms. Asha Dasu and Mr. Amit Aggarwal, Advs. For West
 Bengal Pollution Control Board
 Mr. Debarshi Dhuyan, Adv. for State of Goa
 Mr. P. Venkat Reddy, Adv., Mr. Prashant Tyagi, Adv.
 for State of Telangana
 Mr. Tayanjam Momo Singh and Mr. Apith J., Advs.
 for Meghalaya SPCB
 Ms. Shibanli Ghosh Choudhary, Adv. for State of
 Maharashtra
 Ms. Aruna Mathur, Mr. Amit Arora, Ms. Anuradha
 Arputham and Mr. Avinash Arputham, Advs. for
 State of Sikkim
 Mr. Rajiv Bansal, Mr. Rishi Sharma, Mr. Anirudh
 Chadha and Ms. Arpita, Advs. for Delhi Development
 Authority
 Ms. Divya Sharma, Adv., Mr. Arun Monga, Adv.
 Mr. Saurabh Kumar, Adv.
 Mr. Sunny Choudhary, Adv.
 Mr. M. Paikaray and Mr. A. K. Panda, Advs.
 Mr. Anil Soni, AAG with Mr. Naginder Bhatnagar, Adv.
 Mr. Ashish Negi Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv.
 Mr. Sameer Chaudhary, Adv. for Park Inn by
 Radisson
 Mr. Baldev Singh, Adv. for HPPCB
 Mr. Shubdeep Roy and Mr. Sayoj Mohandas, Advs.
 for State of State of Assam and Assam PCB
 Mr. V.K. Shukla with Ms. Vijay Lakshmi, Advs. for
 State of MP
 Mr. Vijay Panjwani, Adv. for Central Pollution
 Control Board
 Ms. Pragyan Pradip Sharma, Adv. for the State of
 Mizoram
 Mr. Anil Shrivastav, Mr. Ritiraj Biswas and Ms.
 Sujaya Bardhan, Advs.
 Mr. Aruna Mathur, standing counsel, Mr. Avinash
 Arputham, Adv., Mr. Anuradha Arputham, Adv.
 Mr. Tarunvir Singh Khohar, Ms. Guncot Khehar and
 Mr. Charan Jeet Singh, Advs.
 Mr. Rajul Shrivastav, Adv. for MPPCB
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CECB
 Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit Pandey, Adv. and
 Mr. Shubham Jaiswal, Advs. for Andaman & Nicobar
 Island
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. with Mr. R.K. Maurya,
 Adv. for East Delhi Municipal Corporation,

Mr. Jayesh Gaurav, Adv. for JSPCB
 Mr. Dhruba Mahapatra, Adv. with Mr. Dinesh Jindal,
 JO for Delhi Pollution Control Committee
 Mr. B.V. Niren, Adv. for MoUD
 Mrs. D. Bharathi Reddy, Adv. for State of
 Uttarakhand
 Mr. Gopal Singh, Ms. Varsha Poddar, Mr. Rituraj
 Biswas, and Mr. Kumar Millad, Adv. for State of
 Tripura
 Mr. Jayant K. Mehta, and Mr. Abhijeet Srivastava,
 Advs.
 Dr. Abhishek Atrey and Mr. Vikas Malhotra, Advs.
 Dr. Abhishek Atrey and Ms. Mogha Tyagi, Adv. a.
 Mr. Shiv Chopra and Mr. Arush Khanna, Advs,
 Mr. Balendu Shekhar and Mr. R. K. Maurya advs and
 Mr. Vipin LDC
 Mr. Sanjay Manu and Mr. R. K. Pillar, and Mr. Vinay
 Kanwar, Advs.
 Ms. D. Bharathi Reddy, Adv.
 Dr.
 Mr. Ashish Negi, Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv. for
 PPCB
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikas Kr. Sinha, Advs.
 Mr. Saurabh N. President and Mr. BB Bhandari, Soc.
 Ms. Sakshi Popli, Adv. for NDMC & DJB
 Mr. Balendu Shokhar, Adv. for Notices Hospital
 Swamy Daynand Hospital
 Mr. M.Z. Chaudhary, Adv., Mr. Sharif Zaidi, Ms.
 Mansi, Adv.
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikash Kumar Sinha,
 Advs.
 Mr. Sunny Choudhary, Adv. for MPPCB
 Mr. Saurabh Kumar Adv.
 Mr. Nilesh Shrivastava, Adv for Notices 1 for G.K.
 Motels Pvt. Ltd.
 Mr. Harish Sharma, Adv for State of Chattisgarh
 Mr. Tanuj Agrawal, Mr. Ankit Prakash, Advs. For
 Fraser Suites
 Mr. Vibhav Misra, Adv., Ms. SOumya Misra, Adv. for
 DTC
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Vivekanda Mahila
 College
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Shaeed Sukhdev College
 Mr. Dr. R.K. Mahajan, Consultant Mr Anil Bhatt, for
 Dr. RMC Hospital
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CECH
 Mr. V.K. Shukla, Adv lwith Mr. Vijay Lakshmi, Adv
 Mr. G.M. Kawoosa, Adv.
 Ms. Deepshikha Bharati, Adv. MoEP
 Dr. V.N.V. Satish, for GTB Hospital
 Mr. Shubham Dhalla, Adv., Mr. Dhruv Pal, Adv. for
 State of Punjab
 Mr. Edward, Belco, AAC, Mr. K. Luikang Michael,
 Adv., Ms. Elix Gangnel, Adv.

Orders of the Tribunal	
Date and Remarks	
Item No. 01-03	
April 25, 2017	The Learned Counsel appearing for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change prays for time to seek instruction, if any of the Sub-Committees have filed their final report and also whether the all interim reports filed by the Committee with the Ministry and/or filed before the Tribunal by the Ministry. Let him take instructions positively by the next date of hearing and without default.
ss	
	In terms of order dated 10 th April, 2017, Notices were

Item No.
01-03

April 25,
2017

88

issued to all the defaulter Noticees Hospitals, Hotels, Schools, Railway stations and other buildings belonging to Public or Private both.

Hospitals :-

From the Hospital's list of Sl. No. 1 to 15, Notices were issued, however, nobody appears on behalf of the following:-

1. IG ESI Hospital, Jhil Mill Colony, East Delhi.
2. GTB Hospital, Dilshad Garden, Delhi.
3. Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park, Delhi.
4. Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital, Near Delhi Gate, Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi

As nobody is present on their behalf, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the **Medical Superintendents of all above these hospitals in the sum of Rs. 25,000/-** to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Noticees stated at Sl. No. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 and 15 are present personally or represented through counsels. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Hotels :-

All the hotels from Sl. No. 1 to 24 are present

Item No.
01-03

April 25,
2017

85

personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

Colleges :-

From amongst the Educational Institutions, Noticee No. 4 is not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Registrar of Delhi Technological University in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Educational Institutions from Sl. No. 1 to 3 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Malls :-

Out of all the Malls to whom Notices were issued, the Noticee No. 1, 2, 3 and 6 are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Proprietor of all above these Malls in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908,
for his production before the Tribunal on the next date of
hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO
of the concerned Police Station.

Let the case of Notice No. 5 - DLG Galleria, Mayur
Vihar, Delhi be listed before Court No. 2.

The Notices No. 1, 2, 3 and 6 are present personally
or represented through their Advocates. They pray for time
to file their replies. Replies be filed within two weeks from
today with advance copy to all the Learned Counsel
appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Railway Stations:-

From amongst all the 4 Notices (Railway Stations),
are present and represented through their Counsel. They
pray for time to file their replies. Replies be filed within two
weeks from today with advance copy to all the Learned
Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Bus Terminals:-

The Learned Counsel appearing for all the Bus
Terminals submits that Notices have been served to them
and they pray for time to file their replies. Replies be filed
within two weeks from today with advance copy to all the
Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Waste to Energy Plant:-

The Learned Counsel appearing for the Waste to
Energy Plant, Ghazipur of M/s. East Delhi Waste Processing
Private Limited pray for time to file their replies. Replies be

Item No.
01-03

April 25,
2017

53

filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List this case for hearing on 15th May, 2017.

Residential Societies:-

Out of the 9 Housing Societies, Noticees Nos. 2 (Ekta Enclave) and 6 (Ghalib Memorial Cooperative GP Housing Society) are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Secretary of the Societies in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The remaining 7 Noticees are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

We direct Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as Registry of National Green Tribunal to put up inspection report on its website within two days from today. Any of the Noticees who have not received and/or not aware about the report of the Committee constituted by the Tribunal can access the report from the site and should file their replies as already directed.

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

Despite the time granted under the judgment and by the subsequent orders passed by the Tribunal, State Governments and Union Territories have not filed their comprehensive Status Report and Action Plan for compliance of the directions contained in the Judgment of the Tribunal in the case of Almitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors. in Original Application No. 199 of 2014. There is no justification for the parties concerned and all the State Governments not to file such report.

The Learned Counsel appearing for the Central Pollution Control Board submits that they had received reports from some of the States they found serious deficiencies/shortcomings as given in para (5) and the Central Pollution Control Board has already written to the various State Governments to rectify such deficiencies and provide complete and comprehensive statements. The cut-off date/month provided was March, 2017, which is already over, however, in the interest of justice, we still grant last opportunity of two weeks for all the State Governments and Union Territories to file their Status Reports and Action Plan. All the concerned States which have filed their report to Central Pollution Control Board should rectify the defects/deficiencies as reported by Central Pollution Control Board within the same period.

We make it clear that in the event of non-compliance now, each State/Union Territory shall be liable to pay cost of Rs. 1 Lakh, which shall be recovered from the salary of the erring officers of the concerned Governments/Union Territories.

Vide our order dated 12th January, 2017, we had issued Show Cause Notice to all the State

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

Governments/Union Territories, as to why Tribunal should not pass directions requiring authorities to strictly adhere to the doctrine of Sustainable Development in its true concepts. Further, while upcoming developing projects, industrial, residential and commercial, why directions be not issued to commence its work until and unless the development plans will provide collection, processing and disposal of municipal solid waste in accordance law and they are also to have their own sewage system plant.

Unfortunately, till today, though more than sufficient time has expired, no reply to Show Cause has been filed except by the State of Maharashtra, State of Nagaland, Union Territory of Lakshadweep, State of Punjab, Administration of Andaman & Nicobar, State of Sikkim, State of Mizoram, State of Assam, State of Bihar, State of Himachal Pradesh, State of Kerala and State of Meghalaya.

These cases would be listed on 15th May, 2017.

We have heard the Learned Counsel appearing for various States and Union Territories including the one who have filed their replies. It is commonly conceded before us that all construction projects particularly which have larger area, should be directed to construct their own STP and should have complete mechanism for collection, transportation and disposal of municipal solid waste in accordance with Solid Waste Management Rule, 2016 that are comprehensive enough and provide complete mechanism in that behalf. Besides that some State Governments have issued guidelines where they have required the builders of buildings where the constructed area is more than 4000 Sq. Mtrs. to have their own

Item No.
01-03

April 25,
2017

es

facilities. These mass generators of waste are under statutory as well as corporate social responsibility to ensure that they do not throw untreated sewage, domestic/commercial waste and municipal solid waste in the open areas or in the water bodies and the Dhalaos without discharging their fundamental duties as contemplated under Article 51(a)(g) of the Constitution of India. The interest of the environment which is in a public interest must not be permitted to undermined for the commercial interest. The builders of such huge constructions should be directed to put up such facilities not only in the interest of environment and public health at large, but even at their own interest.


Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000 Sq. Mtrs. area which will cover for construction of any commercial, industrial and even residential area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the Solid Waste Management Rule, 2016.

This direction shall apply to all the pending sanctions as of today and to all cases without exception in future.

List these matters for further directions on 15th May, 2017.

Copy of this order should be circulated to all the Chief Secretaries of the State Government as well as the State Pollution Control Boards which in term shall circulate to all

Item No. 01-03	the local authorities.
April 25, 2017,CP (Swatanter Kumar)
88,JM (Raghuvendra S. Rathore)
,EM (Bikram Singh Sajwan)
,EM (Dr. Ajay A Deshpande)



उत्तराखण्ड जल संस्थान

अधरेलू सीटा




4424

दिनांक 07/09/2024 ज०स०इ० 442347

गणिका सं० बिल की अवधि बिल वितरण की तिथि
 श्रीमती अतुल नेहरा S/o श्री सफुमपाल एवम् श्री बिलक सिंह
 वन संख्या S/o श्री नाराय सिंह मोहल्ला मार्ग ग्राम के पाई से

जल मूल्य	मीटर किराया	जल स्तम्भ शुल्क	सीवर शुल्क सीट	सरचार्ज सर्विस चार्ज	अन्य प्राप्ति	योग
			21605.00			21605.00

सं० दिनांक 07/09/2024 के पूर्व/आंशिक
 प्रदान के रूप में धनराशि अंको में 21,605.00 शब्दों में इक्कीस हजार प्राप्त हुई।
 राशि रू० ६ सौ पांच रुपये मात्र
 राशि रू०
 वरिष्ठ लेखाधिकारी ह० लिपिक



IN THE COURT OF National Green Tribunal
Suit / Appeal No. D.A 211/2024 JURISDICTION OF 201

In re:- Sanjay Agarwal Plaintiff(s) Or Petitioner(s)
Appellant(s) Complainant(s)

VERSUS

State of Uttarakhand & Ors Defendant(s)/Respondent(s)/Accused
KNOW ALL to whom these Present shall come that I / We Respondent (Atul Nehra)

The above named Respondent do hereby appoint

ROHIT Pandey D/1310-B/2002
Munisha Anand D/4979/2015
ADHYAYAN GUPTA D/9699/2022

(herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above - noted case authorize him/them :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me / us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.
To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned to hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me / us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I / We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understand by me / us on this..... day of20..... Accepted subject to the terms of the fees.

Atul Nehra

Client

Identify The Signature/Thumb Impression Of Below Mentioned Person, Who Has Been Signed in My Presence. The Client.

Advocate

Rohit Pandey

Munisha Anand

Adhyayan Gupta



Compose

Inbox

3,156

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

More

Labels

counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)



Adhyayan Gupta

SANJAY AGARWAL 3 (1).pdf SANJAY AGARWAL 2 (1).pdf SANJAY AGARWAL (1) (1).pdfcounter affidavit in O.A 211 of 2024 (for



Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

to me

Thu, Nov 7, 4



Address not found

Your message wasn't delivered to **sanjay.agall@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)